भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 239

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

कानूनी सहायता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

+239. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ :

श्री अनिल फिरोजिया :

श्री मोहनभाई कुंडारिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर कार्यकरण के लिए विधिक विशेषज्ञता को डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ समन्वित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण उद्यमियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना प्रभावी है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ड.) : डिजिटल प्रौद्योगिकी, विधिक सहायता के क्षेत्र में प्रभावी रूप से काम में लाई गई है । सरकार ने टैली-विधि कार्यक्रम 2017 से प्रारंभ किया है जिसने जरुरतमंद और सुविधारहित वर्गों, जिसके अंतर्गत विधिक सलाह मांगने वाला ग्रामीण निम्न वर्ग भी है, को जोड़ने के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय अंतरापृष्ठ उपलब्ध किया है । टैली-विधि का उद्देश्य मुकदमा –पूर्व स्तर पर फायदाग्राहियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पेनल अधिवक्ताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से जोड़ना है जो पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों

(सीएससी) पर उपलब्ध हैं । यह सेवा, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क है और अन्य के लिए 30 रुपए प्रति परामर्श के भुगतान पर है । टैली-विधि कार्यक्रम, वर्तमान में, पूरे 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 285 जिलों में 29,860 सामान्य सेवा केंद्रों पर सचालित है । 31 दिसंबर, 2020 तक इस कार्यक्रम के अधीन 5,26,132 परामर्श दिये जा सके हैं । वर्चुअल प्लेटफार्म पर लोक अदालत चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया जाना अन्य उल्लेखनीय उपाय है । ई-लोक अदालत 24 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित की जा चुकी हैं । 09.01.2021 तक इन लोक अदालतों द्वारा 4.07 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 245

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

245. डॉ.टी. सुमति(ए0) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोनाकाल में न्यायालयों को बंद करने के कारण लंबित मामलों के संख्या भार में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या नई ओडीआर योजना कोविड-19 के कारण उत्पन्न रोजगार संबंधी, वाणिज्यिक, किरायेदारी संबंधी, उपभोक्ता और पारिवारिक विवादों का भी समाधान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो पहले से ही अतिभाराक्रान्त न्यायपालिका में अदालतों को बंद करने के कारण बढ़ते मामलों की समस्या का सरकार द्वारा किस प्रकार समाधान किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या सरकार न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए एक विस्तृत और कार्यपालन-योग्य रणनीतिक योजना बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : कोविड अवधि समेत पिछले एक वर्ष के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दिए गए हैं ।

(ख) से (घ) : भारत में आनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) के लिए एक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने के लिए, नीति आयोन ने जून, 2020 में, न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन, एक कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया, जो ओ डी आर को मुख्यधारा में लाने में सहायता कर सके और, अतः, ओ डी आर के माध्यम से न्याय तक पहुंच का संवर्धन किया जा सके । समिति ने नवम्बर, 2020 में पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट का पहला प्रारुप रखा, जिसके अन्तर्गत, उन विवादों की प्रकृति जिनका समाधान किया जा सके, जैसे पारिवारिक विवाद, भू-संपदा विवाद, उत्तराधिकार संबंधी विवाद, आस्तियों के विभाजन संबंधी विवाद, उपभोक्ता विवाद, किराएदारी विवाद, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बैंककारी और वित्तीय विवाद आदि, भी हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,288.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का

कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.01.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ मामलों तथा 13.36 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आगामी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से

25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) किया गया है जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान

किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 18.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल केरल, बिहार, और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए है और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89.89 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ङ) : प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों में निहित है, जो उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्त के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ रिक्तियां होने के छह मास पूर्व कर सकेंगे । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरन्तर, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । इसलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समय ढांचा इंगित नहीं किया

जा सकता । जबकि विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग और पदोन्नति तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण होती रहती हैं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला न्यायालयँ और अधीनस्थ न्यायालयों के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है । और, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियँ का प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियँ की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण आदि से संबंधित मुद्दों के संबंध में नियमँ और विनियमों को विरचित करती है । इसलिए, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है । तथापि, सितंबर, 2016 में संघ के विधि और न्याय मंत्री ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या बढ़ाने तथा राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियँ और उच्च न्यायालयँ के मुख्य न्यायमूर्तियँ को लिखा । इसे मई, 2017 में पुनः दोहराया गया । अगस्त, 2018 में मामलों के बढ़ते लंबन के संदर्भ में, संघ के विधि और न्याय मंत्री ने रिक्तियों की प्रास्थिति को नियमित रुप से मानीटर करने के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान के मामले में विहित समय अनुसूची के अनुसार रिक्त पदँ को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिखा था ।

न्याय विभाग द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियँ के पदों को भरने के लिए उदम उठाने हेतु पुनर्विलोकन करने के लिए माह जनवरी, 2018, जुलाई, 2018 नवंबर, 2018, सितम्बर, 2019 और मई, 2020 में सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि सचिवों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं ।

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	**उच्च न्यायालयों का नाम**	**29.01.2020 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**	**28.01.2021 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	732239	771665
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	21906	269680
3.	गौहाटी उच्च न्यायालय	47569	51646
4.	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	219749	236852
5.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	196553	209164
6.	उच्च न्यायालय बंबई	267809	545989
7.	छतीसगढ़ उच्च न्यायालय	70233	76412
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	80047	91195
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	129980	145539
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	58546	74775
11.	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	75613	63548
12.	झारखंड उच्च न्यायालय	83699	86692
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	248285	289023
14.	केरल उच्च न्यायालय	198739	215901
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	361085	366167
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	3806	4470
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	1114	1472
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	541520	645213
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	472241	529570
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	237	242
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	2373	2347
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	40060	38676
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	403176	581555
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	151411	171779
25.	पटना उच्च न्यायालय	173629	188337
कुल		**4581619**	**5657909**

उपाबंध-2

देश में लंबित मामलों का विवरण राज्य / केंद्रशासित प्रदेश-वार

क्र.सं.	**राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 29.01.2020 तक लंबित मामलों की कुल संख्या**	**जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 28.01.2021 तक लंबित मामलों की कुल संख्या**
1.	अंदमान निकोबार दीप समहू	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	564693	645518
3.	तेलंगाना	566407	686819
4.	अरुणाचल प्रदेश	-------	---
5.	असम	297372	361274
6.	बिहार	2875713	3191323
7.	चंडीगढ़	48262	59265
8.	छत्तीसगढ़	279410	335230
9.	दादर और नागर हवेली	3033	3413
10.	दमण और दीव	2310	2828
11.	दिल्ली	866265	978490
12.	गोवा	२४१३	57311
13.	गुजरात	1611359	1949686
14.	हरियाणा	869120	1126576
15.	हिमाचल प्रदेश	290465	423074
16.	जम्मू और कश्मीर	177254	218833
17.	झारखंड	386064	446803
18.	कर्नाटक	1555617	1763930
19.	केरल	1294910	1841556
20.	लद्दाख	450	768
21.	लक्षद्वीप	------	----
22.	मध्य प्रदेश	1449383	1719056
23.	महाराष्ट्र	3766400	4582365
24.	मणिपुर	9826	11139
25.	मेघालय	8847	10410
26.	मिजोरम	2544	4710
27.	नागालैंड	---------	1562
28.	ओडिशा	1244832	1398399
29.	पंजाब	639683	831225
30.	राजस्थान	1699168	1863560
31.	सिक्किम	1302	1600 रु
32.	तमिलनाडु	1153262	1297274
33.	पुडुचेरी	----------	----
34.	त्रिपुरा	25109	44534
35.	उत्तर प्रदेश	7690966	8653883
36.	उत्तराखंड	208011	269058
37.	पश्चिमी बंगाल	2290464	2401947
कुल		**31903314**	37183419

नोट: अरुणाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेशों **लक्षद्वीप** और **पुदुचेरी** के राज्यों में डेटा ऑनडिजिट और सबऑर्डिनेट कोर्ट एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। एनजेडीजी पोर्टल पर **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के** संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 278

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालय

278. श्रीमती वीणा देवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में त्वरित न्यायालय स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या त्वरित न्यायालयों के सुगम प्रचालन हेतु आवश्यक निधियां जारी नहीं की गई हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान उक्त कार्य हेतु बिहार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना और इसकी कार्यप्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में, बिहार राज्य में 33 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। 14वें वित्त आयोग ने सभी राज्य सरकारो को त्वरित निपटान न्यायालयों की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कर न्यायागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध वर्धित वित्तीय व्यवस्था का उपयोग करने के लिए कहा था। त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए पिछले 4 वर्षों के दौरान बिहार द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा नियमानुसार है :

वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधि (रुपये करोड़ में)	जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)
2016-17	67.686	0
2017-18	67.0437	17.66
2018-19	67.686	18.50
2019-20	40.00	11.56

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 332

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

एफटीएससीएस और ग्राम न्यायालय

332. श्रीमती अपराजिता सारंगी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मार्च 2020 के लॉकडाउन पश्चात् भारत भर में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) ओडिशा में बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससीएस) स्थापित किये गए है ;

(घ) क्या एफटीएससी में बड़ी संख्या में मामले लंबित है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(च) ओडिशा में पंचायत स्तर पर स्थापित और वर्तमान में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(छ) क्या ग्राम न्यायालय के कुशल कामकाज में कोई कारक बाधा डाल रहे है ; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : तारीख 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आभासी या भौतिक ढंग से आवश्यक सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई के लिए निदेश जारी किए गए हैं । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों को और सलाह दी है कि वे, जहां तक संभव हो, आभासी/भौतिक ढंग से सामान्य कार्यकरण पुनः आरम्भ करें । जहां कहीं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक सुनवाई अनुज्ञात की गई है, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है । कोविड-19 के प्रबंधन के लिए हाल ही में एक नया साफ्टवेयर पैच और न्यायालय उपयोक्ता मैन्यूअल विकसित किया गया है । इस उपकरण को न्यायालय में अधिक भीड़ को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए सभी मामलों में स्मार्ट री-सेड्यूलिंग में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान विडियो कांफ्रेसिंग न्यायालयों के मुख्य सहारे के रूप में उभरी है क्योंकि एकत्रिकरण ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थीं । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से केवल विडियो कांफ्रेसिंग का उपयोग करके जिला न्यायालयों ने 45,73,159 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय ने 20,60,318 (कुल 66.33 लाख) मामलों की सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान लगभग 32,000 मामलों की सुनवाई की ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,288.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक

20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.01.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ मामलों तथा 13.36 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आगामी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) किया गया है जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 18.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल केरल, बिहार, और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए है और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89.89 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ग) से (ङ) : वर्तमान में, ओडिशा में 15 एफटीएससी प्रचालन में हैं, जो पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय हैं । इन एफटीएससी ने 31.12.2020 तक 240 पॉक्सो मामले निपटा दिए हैं तथा 6119 मामले लम्बित हैं । मामला निपटान सांख्यिकी की नियमित मोनीटरी के लिए एक आनलाईन मोनीटरी ढांचा बनाया गया है ।

(च) से (ज): उच्च न्यायालय/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना के अनुसार ओडिशा राज्य द्वारा 22 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं जिनमें से 16 ग्राम न्यायालय प्रचालन में हैं ।

ग्राम न्यायालयों के प्रभावी कार्यकरण से संबंधित कुछ चुनौतियां ग्राम न्यायालयों के साथ नियमित न्यायालयों की अधिकारिता का अतिव्यापन, ग्राम न्यायालयों में कार्य करने के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों की कमी, ग्राम न्यायाधिकारियों के कैडर के सृजन और उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता, ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के विस्तार की आवश्यकता, पणधारियों के बीच जागरूकता का सृजन और चलित न्यायालयों का गठन भी है ।

तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई । बैठक में यह निश्चय किया गया कि जहां कहीं साध्य हो, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को अपनी स्थानीय समस्याओं पर विचार करते हुए, ग्राम न्यायालयों के गठन पर निश्चय करना चाहिए । न्याय विभाग, ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण से संबंधित मुद्दों को निरन्तर मानीटरी और मूल्यांकित कर रहा है । विडियो कांफ्रसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राज्य कृत्यकारियों और उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों के साथ कालिक बैठकें की जाती हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 332

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

एफटीएससीएस और ग्राम न्यायालय

332. श्रीमती अपराजिता सारंगी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 मार्च 2020 के लॉकडाउन पश्चात् भारत भर में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) ओडिशा में बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससीएस) स्थापित किये गए है ;

(घ) क्या एफटीएससी में बड़ी संख्या में मामले लंबित है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(च) ओडिशा में पंचायत स्तर पर स्थापित और वर्तमान में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(छ) क्या ग्राम न्यायालय के कुशल कामकाज में कोई कारक बाधा डाल रहे है ; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : तारीख 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आभासी या भौतिक ढंग से आवश्यक सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई के लिए निदेश जारी किए गए हैं । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों को और सलाह दी है कि वे, जहां तक संभव हो, आभासी/भौतिक ढंग से सामान्य कार्यकरण पुनः आरम्भ करें । जहां कहीं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक सुनवाई अनुज्ञात की गई है, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है । कोविड-19 के प्रबंधन के लिए हाल ही में एक नया साफ्टवेयर पैच और न्यायालय उपयोक्ता मैन्यूअल विकसित किया गया है । इस उपकरण को न्यायालय में अधिक भीड़ को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए सभी मामलों में स्मार्ट री-सेड्यूलिंग में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान विडियो कांफ्रेसिंग न्यायालयों के मुख्य सहारे के रूप में उभरी है क्योंकि एकत्रिकरण ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थीं । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से केवल विडियो कांफ्रेसिंग का उपयोग करके जिला न्यायालयों ने 45,73,159 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय ने 20,60,318 (कुल 66.33 लाख) मामलों की सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान लगभग 32,000 मामलों की सुनवाई की ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,288.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक

20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.01.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ मामलों तथा 13.36 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आगामी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से 25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) किया गया है जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 18.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल केरल, बिहार, और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए है और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89.89 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ग) से (ङ) : वर्तमान में, ओडिशा में 15 एफटीएससी प्रचालन में हैं, जो पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय हैं । इन एफटीएससी ने 31.12.2020 तक 240 पॉक्सो मामले निपटा दिए हैं तथा 6119 मामले लम्बित हैं । मामला निपटान सांख्यिकी की नियमित मोनीटरी के लिए एक आनलाईन मोनीटरी ढांचा बनाया गया है ।

(च) से (ज): उच्च न्यायालय/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना के अनुसार ओडिशा राज्य द्वारा 22 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं जिनमें से 16 ग्राम न्यायालय प्रचालन में हैं ।

ग्राम न्यायालयों के प्रभावी कार्यकरण से संबंधित कुछ चुनौतियां ग्राम न्यायालयों के साथ नियमित न्यायालयों की अधिकारिता का अतिव्यापन, ग्राम न्यायालयों में कार्य करने के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों की कमी, ग्राम न्यायाधिकारियों के कैडर के सृजन और उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता, ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के विस्तार की आवश्यकता, पणधारियों के बीच जागरूकता का सृजन और चलित न्यायालयों का गठन भी है ।

तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई । बैठक में यह निश्चय किया गया कि जहां कहीं साध्य हो, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को अपनी स्थानीय समस्याओं पर विचार करते हुए, ग्राम न्यायालयों के गठन पर निश्चय करना चाहिए । न्याय विभाग, ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण से संबंधित मुद्दों को निरन्तर मानीटरी और मूल्यांकित कर रहा है । विडियो कांफ्रसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राज्य कृत्यकारियों और उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों के साथ कालिक बैठकें की जाती हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 339

जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लम्बित मामले

339. श्री के. मुरलीधरन :

श्री हरीश द्विवेदी :

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों का न्यायालय-वार ब्यौरा किया है तथा इसके क्या कारण है ;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास पड़ी लम्बित रिक्तियों की संख्या क्या है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लम्बित होने के पीछे कोविड-19 का कितना प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या "तात्कालिक मामले" श्रेणी की कोई स्पष्ट परिभाषा है जिनकी महामारी के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हो और इसके परिणाम क्या रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने लंबित मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	लंबित मामले
2018	57, 346
2019	59,859
2020	63,146

उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार की गई जानकारी/डाटा और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड(एनजेडीजी) के वैब पोर्टल पर भी उपलब्ध जानकारी/डाटा के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों-वार और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरे क्रमश: **उपाबंध 1** और **उपाबंध-2** पर विवरण दिए गए हैं ।

(ग) से (ड.) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार की न्यायालयों में मामलों के निपटान में कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, तथ्यों की जटिलता भी सम्मिलित है जिसके अंर्तगत साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है । तारीख 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात् स्थानी दशाओं पर निर्भर रहते हुए वर्चुअल और वास्तविक पद्धति में तत्काल सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए उनके प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर निदेश जारी किया गया है । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने वर्चुअल/वास्तविक पद्धति द्वारा क्रियाकलाप करने के लिए यथासंभव शीघ्र जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को और सलाह दिया है । जहां कहीं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने वास्तविक सुनवाई को अनुज्ञात किया है, उनको कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के सन्नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई । इस साधन को न्यायालयों ने अधिक भीड़ का प्रभावी रुप से प्रबंध करने के लिए सभी मामलों की तीव्र समय-सारणी में सहायता के लिए विकसित किया है ।

कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में वीडियो कान्फ्रैसिंग का आविर्भाव किया गया क्योंकि वास्तविक सुनवाई और सामान्य न्यायालय की कार्यवाही सामूहिक पद्धति में संभव नहीं थी । सामाजिक दूरी सन्नियमों, मामलों की सीमित संख्या के साथ-साथ अवसंरचना का अभिभव तथा

कार्यबल के कारण सामान्य समयकी तुलना में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सका। उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश विरचित किया था जिसमें मामलों के प्रवर्ग को वर्गीकृत किया गया था जो शीघ्र सुनवाई के प्रयोजन के लिए 'तत्काल' के रुप में संसाधित किया गया । यद्यपि, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से 'तत्काल' प्रवर्ग में आने वाले मामलों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है, केवल ऐसे तत्काल मामले जिन्हें तत्कालिक के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए 'उल्लिखित' किए गए समय-समय पर वैबसाइट (www.sci.gov.in) पर 'मानक प्रचालन की जाने वाली प्रक्रिया' के रुप में सूचीबद्ध किया गया है । 'उल्लिखित' मामलों के अतिरिक्त नए मामले और विशेष रुप से निदेशित किए गए मामलों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, जहां कोई मामला 'तत्काल प्रवर्ग' के अधीन नहीं आता है, उसे न्यायपीठ के विवेक पर छोड़ दिया जाता है । चूंकि, कोविड लॉकडाउन आरंभ हो गया, केवल वीडियो कान्फ्रैसिंग का प्रयोग करके तारीख 31/12/2020 तक जिला न्यायालयों द्वारा 45,73,159 मामलों की सुनवाई की गई जबकि उच्च न्यायालय ने 20,60,318 मामले (कुल 66.33 लाख मामले) की सुनवाई की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान लगभग 32000 सुनवाई की गई थी ।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्याय प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक

8288.30 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 28.01.2021 तक बढ़कर 20,062 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन :-</u> सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या तारीख 28.01.2021 को 13,672(वर्ष 2014 में) से बढ़कर 18735 हो चुकी है और 5063 की वृद्धि दर्ज की गई है । मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.01.2021 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति और 13.36 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है । कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश,जानकारी और ई फाइलिंग सुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 235 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए निधियाँ प्रदान की गई है । वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग

के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली (2 न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र) कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में यातायात संबंधी अपराधों के विचारण के लिए नौ वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 20.01.2021 तक, इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामलों को संभाला और जुर्माना में 1,39.25 करोड़ रुपये जारी किया।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना :-</u> 01.05.2014 से 25.01.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 520 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1080 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) <u>बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्चन्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(v) <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर</u> **:-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह

अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल **:-**</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्ध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 18.01.2021 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुंब और वैवाहिक विवादों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलातसंग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 823 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपये जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 89.89 करोड रुपये जारी किए गए है ।वर्तमान में 609 एफटीएससी कार्यरत है जिसमें से 321 मात्र पाक्सो न्यायालय हैं ।

(vii) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाली में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालय

वर्ष 2018,2019 और 2020 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलो की कुल संख्या

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की कुल संख्या (31/12/2018 की स्थिति के अनुसार)	लंबित मामलों की कुल संख्या (31/12/2019 की स्थिति के अनुसार)	लंबित मामलों की कुल संख्या (31/12/2020 की स्थिति के अनुसार)
1.	इलाहाबाद	939475	944657	773408
2.	आंध्र प्रदेश *	354833	193594	207762
3.	तेलंगाना*		206413	236852
4.	बंबई	287864	305962	559119
5.	कलकत्ता	231576	228060	267431
6.	छत्तीसगढ़	63574	69316	75836
7.	दिल्ली	74536	80950	91195
8.	गुजरात	114962	129184	142803
9.	गुवाहाटी	33445	37243	51901
10.	मेघालय	782	757	1443
11.	मणिपुर	3062	2468	4374
12.	त्रिपुरा	2977	2586	2347
13.	हिमाचल प्रदेश	36177	54452	73862
14.	जम्मू-कश्मीर	64042	71693	63468
15.	झारखंड	88932	85272	88445
16.	कर्नाटक	357604	271929	293259
17.	केरल	192754	196823	214384
18.	मध्य प्रदेश	331388	357929	362932
19.	मद्रास	293004	272722	580770
20.	उड़ीसा	167909	150562	172476
21.	पटना	153486	172425	178835
22.	पंजाब और हरियाणा	337231	353888	637148
23.	राजस्थान	285012	459828	523600
24.	सिक्किम	252	234	241
25.	उत्तराखंड	34049	35407	38676
	कुल	4448926	4684354	5642567

टिप्पण : उपर्युक्त विवरण उच्च न्यायालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है *2018 की अवधि के लिए, आंकड़े पूर्ववर्ती उच्च न्यायालय के लिए हैं, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में हैं।

उपाबंध-2

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान स्थिति के दौरान जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों के मामले का विवरण

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**31.12.2017 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**	**10.12.2018 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**	**14.11.2019 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**	**28.01.2021 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	11,185	---	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4,99,246	5,22,853	558144	645518
3.	तेलंगाना	4,16,164	5,14,425	553032	686819
4.	अरुणाचल प्रदेश	---	---	---	---
5.	असम	2,23,954	2,84,344	296205	361274
6.	बिहार	16,58,292	24,39,139	2839812	3191323
7.	चंडीगढ़	38,628	42,980	47132	59265
8.	छत्तीसगढ़	2,72,888	2,57,782	275552	335230
9.	दादर और नागर हवेली	3,552	2,465	3091	3413
10.	दमन और दीव	1,746	1,758	2203	2828
11.	दिल्ली	6,07,036	7,19,977	832229	978490
12.	गोवा	39,745	43,825	46462	57311
13.	गुजरात	16,41,355	16,59,335	1604461	1949686
14.	हरियाणा	6,45,647	7,21,335	852700	1126576
15.	हिमाचल प्रदेश	2,09,938	2,56,577	287555	423074
16.	जम्मू-कश्मीर	1,21,754	1,55,889	174640	218833
17.	झारखंड	3,33,494	3,53,670	383212	446803
18.	कर्नाटक	13,81,438	12,77,153	1546631	1763930
19.	केरल	11,52,056	11,62,952	1275520	1841556
20	लद्दाख	---	-----	------	768
21.	लक्षद्वीप	---	---	---	----
22.	मध्य प्रदेश	13,25,053	13,70,355	1420511	1719056
23.	महाराष्ट्र	33,36,574	35,61,746	3760171	4582365
24.	मणिपुर	9,604	9,994	9879	11139
25.	मेघालय	7,032	6,727	8851	10410
26.	मिजोरम	3,306	3,653	2560	4710
27.	नागालैंड	---	---	---	1562
28.	ओडिशा	10,22,635	11,23,055	1220696	1398399
29.	पंजाब	5,68,232	5,99,053	631132	831225
30.	राजस्थान	14,24,560	15,05,712	1654941	1863560
31.	सिक्किम	1,400	1,306	1180	1600
32.	तमिलनाडु	10,10,381	11,03,460	1158027	1297274
33.	पुडुचेरी	---	---	---	----
34.	त्रिपुरा	25,191	23,519	24190	44534
35.	उत्तर प्रदेश	61,61,822	70,04,569	7504678	8653883
36.	उत्तराखंड	2,10,587	2,38,349	197858	269058
37.	पश्चिमी बंगाल	17,59,635	22,05,954	2275633	2401947
कुल		**2,61,24,130**	**2,91,73,911**	**3,14,48,888**	**37183419**

टिप्पण : अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आंकड़े एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। अंदमान निकोबार द्वीप के संबंध में डाटा एनजेडीजी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है ।

उपाबंध-3

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की मंजूर पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शित करने वाला विवरण।

(29.01.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	मंजूर पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
		स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1.	इलाहाबाद	120	40	160	82	14	96	38	26	64
2.	आंध्र प्रदेश	28	09	37	19	0	19	09	09	18
3.	बंबई	71	23	94	49	15	64	22	08	30
4.	कलकत्ता	54	18	72	31	02	33	23	16	39
5.	छत्तीसगढ़	17	05	22	13	01	14	04	04	08
6.	दिल्ली	45	15	60	29	0	29	16	15	31
7.	गुवाहाटी	18	06	24	18	03	21	0	03	03
8.	गुजरात	39	13	52	30	0	30	09	13	22
9.	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	10	0	10	0	03	03
10.	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र उच्च न्यायालय	13	04	17	11	0	11	02	04	06
11.	झारखंड	19	06	25	17	0	17	02	06	08
12.	कर्नाटक	47	15	62	26	20	46	21	-05	16
13.	केरल	35	12	47	30	07	37	05	05	10
14.	मध्य प्रदेश	40	13	53	27	0	27	13	13	26
15.	मद्रास	56	19	75	52	10	62	04	09	13
16.	मणिपुर	04	01	05	04	01	05	0	0	0
17.	मेघालय	03	01	04	04	0	04	-01	01	0
18.	उड़ीसा	20	07	27	15	0	15	05	07	12
19.	पटना	40	13	53	22	0	22	18	13	31
20.	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	37	11	48	27	10	37
21.	राजस्थान	38	12	50	23	0	23	15	12	27
22.	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23.	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	18	06	24	14	0	14	04	06	10
24.	त्रिपुरा	04	01	05	04	0	04	0	01	01
25.	उत्तराखंड	09	02	11	07	01	08	02	01	03
	कुल	**815**	**265**	**1080**	**577**	**85**	**662**	**238**	**180**	**418**

पीएमटी- स्थाई, अति.- अतिरिक्त

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 341

जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ऑनलाइन विवाद समाधान

341. श्री प्रताप सिम्हा :

श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को नियंत्रित करने के लिए सरकार नए कानून बनाने का इरादा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऑनलाइन विवाद समाधान के साथ-साथ नियमित विवाद समाधान के लिए मौजूद कानूनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ऑनलाइन विवाद समाधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : वर्तमान में, ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ डी आर) किसी विधान द्वारा शासित नहीं है । जहां तक अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संबंध है, वर्तमान में माध्यस्थम और सुलह, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित है । जहां तक मध्यकता का संबंध है, मध्यकता पर एकमात्र कानून नहीं है । तथापि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 सभी वाणिज्यिक मामले में, जिसमें अति-आवश्यक अनुतोष अपेक्षित नहीं है, संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता तंत्र (पी आई एम एस) का उपबंध करता है ।

भारत में ओडीआर के लिये प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा के सृजन के क्रम में नीति आयोग ने जून, 2020 में, कार्य योजना जो ओ डी आर को मुख्य धारा से जोड़ सकती है और इस प्रकार ओ डी आर के माध्यम से न्याय तक पहुँच को प्रोत्साहित

करे, विकसित करने के लिए न्यायमूर्ति ए0 के0 सीकरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता के अधीन एक समिति स्थापित की थी । नवंबर, 2020 में समिति, रिपोर्ट का पहला प्रारूप पब्लिक डोमेन में रख चुकी है, जिसमें, ओडीआर का उपयोग करने के तरीकों से पब्लिक का मार्ग दर्शन करने के लिए मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कोई व्यापक प्रचार चलाना, लोगों को प्रोत्साहित करने ओडीआर को अपनाने आदि की ओडीआर संबंधी सफल कहानियों पर विशेष बल देने के लिए सोशल मीडिया की उपस्थिति को प्रभावी बनाने जैसे जागरुकता फैलाने वाले कदम भी सम्मिलित है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 377

जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

377. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या न्यायालय-वार कितनी है ;

(ख) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पुरुष और महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ग) वर्तमान समय में देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले न्यायाधीशों की न्यायालय-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(घ) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या न्यायालय-वार कितनी है ; और

(ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क), (ख) और (ड़) : न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, पुरूष और महिला न्यायाधीशों की संख्या और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिक्तियॉ प्रदर्शित करता विवरण, उपाबंध पर संलग्न है ।

(ग) और (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेदों क्रमश: 124 और 217 तथा 224 के अधीन

होती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते । अत: कोई वर्ग/प्रवर्गवार डेटा केंद्रीय तौर से अनुरक्षित नहीं होता । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशोंकी नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त उम्मीदवारों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित है का सम्यक् ध्यान रखा जाए ।

25.01.2021 को अंतिम पांच वर्ष के दौरान (कैलेण्डर वर्ष-वार) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या नीचे दी गई है:-

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए न्यायाधीश	04	05	08	10	--
उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए न्यायाधीश	126	115	108	81	66
उच्च न्यायालयों में स्थाई किए गए अतिरिक्त न्यायाधीश	131	31	115	68	90
अतिरिक्त न्यायाधीशों को दिया गया नया कार्यकाल	22	05	02	07	03

उपाबंध

'न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या' के संबंध में श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 377 जिसका उत्तर तारीख 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है के भागों (क) (ख) और (ङ) के उत्तर में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पुरुष और महिला न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या तथा रिक्तियों को दर्शाने वाला निर्दिष्ट विवरण

(तारीख 27.01.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत सं.	कार्य संख्या		रिक्तियां
			पुरुष न्यायाधीशों की संख्या	महिला न्यायाधीशों की संख्या	
क	**भारत का उच्चतम न्यायालय**	**34**	**28**	**2**	**04**
ख	**उच्च न्यायालय**				
1.	इलाहाबाद	**160**	**90**	**6**	**64**
2.	आंध्र प्रदेश	**37**	**16**	**3**	**18**
3.	बंबई	**94**	**56**	**8**	**30**
4.	कलकत्ता	**72**	**29**	**4**	**39**
5.	छत्तीसगढ़	**22**	**12**	**2**	**08**
6.	दिल्ली	**60**	**23**	**6**	**31**
7.	गुवाहाटी	**24**	**20**	**1**	**03**
8.	गुजरात	**52**	**25**	**5**	**22**
9.	हिमाचल प्रदेश	**13**	**09**	**1**	**03**
10.	जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य उच्च न्यायालय।	**17**	**10**	**1**	**06**
11.	झारखंड	**25**	**16**	**1**	**08**
12.	कर्नाटक	**62**	**41**	**5**	**16**
13.	केरल	**47**	**32**	**5**	**10**
14.	मध्य प्रदेश	**53**	**25**	**2**	**26**
15.	मद्रास	**75**	**49**	**13**	**13**
16.	मणिपुर	**05**	**05**	-	-
17.	मेघालय	**04**	**04**	-	-
18.	ओडिशा	**27**	**13**	**2**	**12**
19.	पटना	**53**	**22**	-	**31**
20.	पंजाब और हरियाणा	**85**	**41**	**8**	**36**
21.	राजस्थान	**50**	**22**	**1**	**27**
22.	सिक्किम	**03**	**02**	**1**	-
23.	तेलंगाना	**24**	**12**	**2**	**10**
24.	त्रिपुरा	**05**	**04**	-	**01**
25.	उत्तराखंड	**11**	**08**	-	**03**
कुल		**1080**	**586**	**77**	**417**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 432

जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

432. डॉ. संजय जायसवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सहित देश में कार्यरत ग्राम न्यायालयों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) अपील दायर करने की गुंजाइश और प्रक्रिया का ब्यौरा सहित उक्त ग्राम न्यायालयों की संरचना क्या है ;

(ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली महिलाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्तमान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है ; और

(ङ) मंत्रालय ने भारत की न्यायिक प्रणाली में और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, 12 राज्यों द्वारा 402 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। राज्यवार विवरण **उपाबंध-1** में अधिसूचित और परिचालित है । ग्राम न्यायालय बिहार राज्य में अधिसूचित नहीं है । फिर भी, राज्य सरकार 8386 ग्राम कचहरी स्थापित की है, जिसका राज्यवार विवरण **उपाबंध-2** में है ।

(ख) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(3) यह उपबंध करती है कि ग्राम न्यायालय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त होगी । प्रत्येक ग्राम-न्यायालयों के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(5) की शर्तों के अनुसार एक न्यायाधिकारी नियुक्त करेगी । किसी भी ग्राम न्यायालय के निर्णय, दंडादेश या आपराधिक और सिविल मामलों के आदेश का अपीलीय उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 33 और धारा 34 में अधिकथित है जो **उपाबंध-III** में दिए गए हैं । ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सीमा तक सिविल और आपराधिक दोनो अधिकारिता का प्रयोग करेगा । न्यायाधिकारी मोबाइल न्यायालय आयोजित करने और उसकी कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले गांवों का आवधिक रुप से दौरा करेंगे ।

(ग) : उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में महिला अधिवक्ताओं से संबंधित आंकड़ो की सूचना निश्चित रुप से वर्णित नहीं है ।

(घ) : 20.01.2021 तक उच्च न्यायालयों में 77 महिला न्यायाधीश कार्य कर रही थी ।

(ड.) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 124 और 127 के अधीन होती है । ये अनुच्छेद व्यक्तियों के किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करते है । सरकार, तथापि, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही हैं कि न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित अभ्यर्थियों पर विचार किया जाए।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2021 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण ।

राज्यवार अधिसूचित और कार्यरत ग्राम न्यायालय

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	संचालित ग्राम न्यायालय
1.	मध्य प्रदेश	89	89
2.	राजस्थान	45	45
3.	कर्नाटक	2	2
4.	ओडिशा	22	16
5.	महाराष्ट्र	39	24
6.	झारखंड	6	1
7.	गोवा	2	0
8.	पंजाब	9	2
9.	हरियाणा	3	2
10.	उत्तर प्रदेश	113	14
11.	केरल	30	30
12.	आंध्र प्रदेश	42	0
कुल		**402**	**225**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2021 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण ।

बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का जिले-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम कचहरी की संख्या
1.	अररिया	218
2.	अरवल	65
3.	औरंगाबाद	204
4.	बांका	185
5.	बेगूसराय	229
6.	भागलपुर	242
7.	भोजपुर	228
8.	बक्सर	142
9.	दरभंगा	324
10.	गया	332
11.	गोपालगंज	234
12.	जमुई	153
13.	जहानाबाद	93
14.	कैमूर	149
15.	कटिहार	235
16.	खगड़िया	129
17.	किशनगंज	126
18.	लखीसराय	80
19.	मधेपुरा	170
20.	मधुबनी	399
21.	मुंगेर	101
22.	मुजफ्फरपुर	385
23.	नालंदा	249
24.	नवादा	187
25.	पश्चिमी चंपारण	315
26.	पटना	322
27.	पूर्वी चंपारण	405
28.	पूर्णिया (पूर्णिया)	246
29.	रोहतास	245
30.	सहरसा	151
31.	समस्तीपुर	381
32.	सारन	323
33.	शेखपुरा	54
34.	शेहर	53
35.	सीतामढ़ी	270
36.	सिवान	293
37.	सुपौल	181
38.	वैशाली	288
कुल		**8386**

उपाबंध-3

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2021 को दिया जाना है का निर्दिष्ट ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का सार ।

33. दांडिक मामलों में अपील—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध कोई अपील इसमें यथा उपबंधित के सिवाय नहीं होगी ।

(2) कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जहां,—

(क) अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवाक् किया है और उसे उस अभिवाक् पर दोषसिद्ध किया गया है;

(ख) ग्राम न्यायालय ने केवल एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय के किसी अन्य निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय को होगी ।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर होगी :

परंतु यदि सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील की सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई और ऐसी अपील का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा ।

(6) सेशन न्यायालय, अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान, उस दंडादेश या आदेश के निलंबन का निदेश दे सकेगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(7) उपधारा (5) के अधीन सेशन न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और सेशन न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से नहीं रोकेगी ।

34. सिविल मामलों में अपील—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या ऐसे आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील जिला न्यायालय को होगी ।

(2) ग्राम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील,—

(क) पक्षकारों की सहमति से नहीं होगी;

(ख) जहां किसी वाद, दावे या विवाद की विषयवस्तु की रकम या मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां नहीं होगी;

(ग) जहां ऐसे वाद, दावे या विवाद की विषयवस्तु की रकम या मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है वहां विधि के किसी प्रश्न के सिवाय नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु यदि जिला न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीन दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील की जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई और ऐसी अपील का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा ।

(5) जिला न्यायालय, अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान उस निर्णय या आदेश के निष्पादन पर रोक लगा सकेगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(6) उपधारा (4) के अधीन जिला न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और जिला न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से नहीं रोकेगी ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 442
जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालय

442. श्री श्याम सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से जौनपुर में किराए के भवन में चलने वाले अधीनस्थ न्यायालयों, सिविल न्यायालयों और जिला स्तरीय न्यायालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार की अधीनस्थ न्यायालयों को अच्छे वातावरण में चलने में समर्थ बनाने के लिए भवनों के निर्माण की योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में कुल 18 अधीनस्थ न्यायालय किराए के भवन में कार्य कर रहे है । जौनपुर जिले में कोई अधीनस्थ न्यायालय किराए के भवन में कार्य नहीं कर रहा है। किराए पर न्यायालयों का जिले-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	जिले का नाम	किराए पर न्यायालयों की संख्या
1.	आगरा	2
2.	अलीगढ़	1
3.	अमरोहा	2
4.	बांदा	2
5.	बरेली	1
6.	बदायूं	1
7.	मथुरा	1
8.	मेरठ	1

9.	कानपुर देहात	1
10.	शाहजहांपुर	1
11.	श्रावस्ती	4
12.	सोनभद्र	1
	कुल	18

(ख) से (घ) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना उपलब्ध कराना राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व है। संघ सरकार विहित निधि साझाकरण तरिके से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वितीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रुप से प्रायोजित स्कीम को प्रशासित कर रही है। इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायालय के भवनों और जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसरों का निर्माण भी शामिल है । वर्ष 1993-94 से स्कीम के अधीन 8288.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिसमें से चालू वितीय वर्ष के दौरान जारी किए गए 111.00 करोड़ रुपये सहित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 1260.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 459

जिसका उत्तर बुधवार, 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

459. श्री डी.के. सुरेश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रकरण-निपटान की दर बढ़ाने और भारतीय न्यायालयों और न्यायिक सेवाओं की स्थापना की दृष्टि से अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 की सिफारिशों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को देश में 'कार्य की सुगमता' के संदर्श में न्यायपालिका पर पड़ते बोझ के प्रभाव की जानकारी है जहां बढ़ते लंबित मामलों का आर्थिक मंदी पर और असर पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए न्यायालयीन मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सरकार ने मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का उच्चतम न्यायालय के परामर्श में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद संख्या में तारीख 9 अगस्त, 2019 से 30 से बढ़ाकर 33 न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर) वृद्धि की है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की मंजूर पद संख्या में 2014 में 906 से 2021 में 1080 वृद्धि हो गई है । उच्च न्यायालयों की पद संख्या में राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् वृद्धि की गई है । वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की 4 रिक्तियां और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 418 रिक्तियां हैं । विद्यमान रिक्तियों

को शीघ्रता से भरे जाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाता है, लेकिन रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन और न्यायाधीश पद संख्या में वृद्धि के कारण उद्भूत होता है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों के जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के साथ निहित है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण आदि के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।सरकार की न्यायालयों में मामलों के निपटान में कोई भूमिका नहीं है । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्याय प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 8288.30 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 28.01.2021 तक बढ़कर 20,062 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,808 न्यायालय हाल और

1,843 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रभावन :-</u> सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या तारीख 28.01.2021 को 13,672(वर्ष 2014 में) से बढ़कर 18735 हो चुकी है और 5063 की वृद्धि दर्ज की गई है । मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.01.2021 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति और 13.36 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है । कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश,जानकारी और ई फाइलिंग सुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 235 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए निधियाँ प्रदान की गई है । वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली (2 न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र) कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में यातायात संबंधी अपराधों के विचारण के लिए नौ वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

20.01.2021 तक, इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामलों को संभाला और जुर्माना में 1,39.25 करोड़ रुपये जारी किया।

(iii) **<u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना :-</u>** 01.05.2014 से 25.01.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 520 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1080 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) <u>बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी :</u> अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्चन्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(v) <u>अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर</u> **:-** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल</u> **<u>:-</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन

किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्ध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 18.01.2021 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराधों, कुटुंब और वैवाहिक विवादों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलातसंग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 823 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपये जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 89.89 करोड रुपये जारी किए गए है ।वर्तमान में 609 एफटीएससी कार्यरत है जिसमें से 321 मात्र पाक्सो न्यायालय हैं ।

(vii) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाली में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *29

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

***29. श्री कल्याण बनर्जी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 रिक्त पद तथा 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 411 रिक्त पद हैं जिनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय में 38 और बंबई एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में 30-30 पद रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) मामलों के शीघ्र निपटान हेतु इन सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां" से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 29 जिसका उत्तर तारीख 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : तारीख 01 फरवरी, 2021 तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 पद और 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 419 पद रिक्त थे । इसके अतिरिक्त, दिल्ली, बाम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के क्रमश: 31, 30 और 40 पद रिक्त थे ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, नियुक्ति के लिए प्रस्ताव संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है । सरकार, केवल उन्हीं व्यक्तियों की उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करती है जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा की जाती है । पिछले तीन वर्ष के दौरान अर्थात् 2018, 2019 और 2020 में कॉलेजियम ने 505 सिफारिशें की थीं, जिनमें से 177 नाम जिनकी एससीसी द्वारा सिफारिश की गई थी, वे विभिन्न उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे । 134 नाम एससीसी द्वारा खारिज कर दिए गए थे और उच्च न्यायालयों को भेज दिए गए थे तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम से प्राप्त शेष 194 प्रस्ताव सरकार और एससीसी के पास विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं ।

उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । इस प्रकार, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की रिक्तियों के भरे जाने का समय उपदर्शित नहीं किया जा सकता है ।

यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, लेकिन न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों के पदों में वृद्धि के कारण भी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त होते रहते हैं । मई 2014 से 2021 (1 फरवरी, 2021 तक) के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में की गई नियुक्ति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

- 35 न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए थे ।

• 570 नए न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए थे ।

• 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था ।

सरकार समयबद्ध रीति से रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *30

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

लंबित आपराधिक और दीवानी मामले

***30. श्री विनायक भाऊराव राऊत :**

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों में लंबित आपराधिक तथा दीवानी मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में विभिन्न दीवानी और आपराधिक मामलों को निचली अदालतों द्वारा औसतन कितने समय में निपटाया जाता है ;

(ग) महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों तथा वर्ष 2020 एवं 2021 के दौरान भरे गये रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मामलों के निपटान पर इन रिक्त पदों के प्रभाव के संबंध में हाल ही में कोई आंकलन किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है ।

'लंबित आपराधिक और सिविल मामलों' संबंधी लोक सभा <u>तारांकित प्रश्न सं. *30 के भाग (क) से (ङ) जिसका उत्तर तारीख 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है के लिए निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) : महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की निचले न्यायालयों में 31.12.2020 को लंबित आपराधिक और सिविल मामलों की संख्या निम्न प्रकार है: -

क्र. सं.	राज्य	सिविल	आपराधिक	31.12.2020 को कुल लंबित मामले
1.	महाराष्ट्र	1363965	3140608	4504573
2.	उत्तर प्रदेश	1805336	6975768	8781104

(ख) : विभिन्न सिविल और आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए निचले न्यायालयों द्वारा लिए गए औसत समय के संबंध में कोई डाटा केंद्रित नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(ग) : रिक्तियों के ब्यौरों के साथ वर्ष 2020 और 2021 के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में निचले न्यायालयों में भरी गई रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	राज्य	27.01.2021 की स्थिति के अनुसार रिक्तियाँ	वर्ष 2020 के दौरान भरी गई रिक्तियां	वर्ष 2021 के दौरान भरी गई रिक्तियां
1.	महाराष्ट्र	209	7	-
2.	उत्तर प्रदेश	1046	84	-

(घ) और (ङ) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों के जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के साथ निहित है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य

सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण आदि के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है।

तथापि, केंद्रीय सरकार मामलों के तेजी से निपटान और लंबित मामलों में कमी के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(क) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 8288.30 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 28.01.2021 तक बढ़कर 20,062 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

(ख) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने संपूर्ण देश में जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन, सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए समर्थ बनाने के लिए ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या तारीख 28.01.2021 को 13,672(वर्ष 2014 में) से बढ़कर 18735 हो चुकी है और 5063 की वृद्धि दर्ज की गई है । मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन वर्जन को विकसित किया गया है और सभी

कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । तारीख 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति और 13.36 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है । कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश,जानकारी और ई फाइलिंग सुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 235 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए निधियाँ प्रदान की गई है। वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली (2 न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र) कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में यातायात संबंधी अपराधों के विचारण के लिए नौ वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 20.01.2021 तक, इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामलों को संभाला और जुर्माना में 1,39.25 करोड़ रुपये वसूल किए।

(ग) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 25.01.2021 तक उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 520 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1080 हो गई । जिला

और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(घ) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्चन्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं।

तारीख 20.06.2014 और 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए और संबोधित किया गया है ।

(ङ) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोरः- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996, में संशोधन किए गए है ।

(च) विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहलः- चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों कुटुम्ब और वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्ध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 18.01.2021 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल प्रत्येक में एक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलातसंग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 'अनन्य पाक्सो न्यायालय' सहित 823 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपये जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 89.89 करोड रुपये जारी किए गए है ।वर्तमान में 609 एफटीएससी कार्यरत है जिसमें से 331 अनन्य पाक्सो न्यायालय हैं ।

(छ) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1400

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

1400. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री चंद्रशेखर साहू :

श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में ग्राम न्यायालय, स्थापित किए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गांवों को अधीनस्थ/उच्च न्यायालयों से न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे उनके निवास स्थान से बहुत दूर हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांवों में अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का इन न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो और अधिक धनराशि की मांग करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के निबंधन में, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं । वर्तमान में केवल 12 राज्यों ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की

है। केंद्रीय सरकार संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों से अनुरोध कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 402 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 225 प्रचालित हैं । राज्यवार विवरण निम्न प्रकार हैं:

राज्य	**अधिसूचित न्यायालय**	**कार्यात्मक न्यायालय**
मध्य प्रदेश	89	89
राजस्थान	45	45
कर्नाटक	2	2
ओडिशा	22	16
महाराष्ट्र	39	24
झारखंड	6	1
गोवा	2	0
पंजाब	9	2
हरियाणा	3	2
उत्तर प्रदेश	113	14
केरल	30	30
आंध्र प्रदेश	42	0
कुल	**402**	**225**

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 नागरिकों को उनकी दहलीज़ पर न्याय प्रदान करने के प्रयोजन से जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए 7 जनवरी, 2009 को अधिसूचना द्वारा अधिनियमित किया गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह या किसी राज्य में जहाँ सन्निहित समूह पंचायतों के समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना का उपबंध करता है।तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालय की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचारविमर्श किया गया। सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालय योजना के अधीन जहाँ नियमित न्यायालय स्थापित नहीं की गई हैं उन तालुकों को कवर करने

पर केंद्रित करने के साथ उनकी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जहां भी संभव हो, ग्राम न्यायालय की स्थापना के प्रश्न का विनिश्चय करना चाहिए ।

ग्राम न्यायालय की स्थापना और प्रचालन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक रुपये 74.60 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है जिसके अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए 8.00 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है । संघ सरकार ने 18.00 (अठारह) लाख रु. की सीमित अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता एक ग्राम न्यायालय के प्रचालन के पूर्ण वर्ष के अनुसार 3.20 लाख रु. तक सीमित होती है और राज्यों को ग्राम न्यायालय के प्रचालन के पहले तीन पूर्ण वर्षों के लिए जारी की जाती है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1406

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी

1406. श्रीमती सुमलता अम्बरीश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या का विवरण **उपाबंध-1** पर प्रदर्शित है ।

संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारोंं की है । जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है। कतिपय राज्यों में संबंधित उच्च न्यायालय यह कार्य करते है जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह कार्य करते है ।

उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मजहर के मामले में न्यायिक आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिकाा में रिक्तियों को भरे जाने हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा का उपाय निकाला है। उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 के इस आदेश में यह नियत किया कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशोंं

की भर्ती की प्रक्रिया किसी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को प्रारंभ होगी और उसी वर्ष 31 अक्तूबर को समाप्त हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारो ं/उच्च न्यायालयों को राज्य में विलक्षण भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों या अन्य सुसंगत दशाओं पर आधारित किसी कठिनाई के मामले में समय अनुसूची में फेरफार करने की अनुज्ञा दी है ।

****

उपाबंध-1

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1406 जिसका उत्तर तारीख 10.02.2021 को दिया जाना है के भाग (क) उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

03.02.2021 तक अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत संख्या	कुल कार्यरत संख्या	कुल रिक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	607	510	97
2.	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
3.	असम	466	412	54
4.	बिहार	1936	1424	512
5.	चंडीगढ़	30	26	4
6.	छत्तीसगढ़	480	387	93
7.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
8.	दमण और दीव	4	4	0
9.	दिल्ली	799	648	151
10.	गोवा	50	40	10
11.	गुजरात	1522	1152	370
12.	हरियाणा	772	493	279
13.	हिमाचल प्रदेश	175	161	14
14.	जम्मू - कश्मीर	296	255	41
15.	झारखंड	675	541	134
16.	कर्नाटक	1357	1071	286
17.	केरल	538	470	68
18.	लद्दाख	16	8	8
19.	लक्षद्वीप	3	3	0
20.	मध्य प्रदेश	2021	1610	411
21.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
22.	मणिपुर	54	36	18
23.	मेघालय	97	49	48
24.	मिजोरम	64	43	21
25.	नागालैंड	33	26	7
26.	ओडिशा	950	756	194
27.	पुडुचेरी	26	11	15
28.	पंजाब	692	593	99
29.	राजस्थान	1489	1292	197
30.	सिक्किम	25	20	5
31.	तमिलनाडु	1298	1049	249
32.	तेलंगाना	474	378	96
33.	त्रिपुरा	120	97	23
34.	उत्तर प्रदेश	3634	2581	1053
35.	उत्तराखंड	297	255	42
36.	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कुल		**24248**	**19306**	**4942**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1445

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

फास्ट-ट्रैक न्यायालय

+1445. श्री बसंत कुमार पांडा :

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में फास्ट-ट्रैक न्यायालय कार्यरत है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कार्यरत न्यायालयों के नाम क्या है और उन मामलों का ब्यौरा क्या जिनके संबंध में ऐसे न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए जा रहे हैं ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त न्यायालयों द्वारा कितने मामलों पर विचार किया गया और उन पर निर्णय दिए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना और उसका संचालन संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श के साथ राज्य सरकारों के अधिकाक्षेत्र में आता है । तथापि, प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में कोई भी त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत नहीं है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1480

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ओडिशा उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना

1480. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार पश्चिमी ओडिशा के लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या ओडिशा सरकार ने अवस्थिति ब्यौरे सहित पश्चिमी ओडिशा उच्च न्यायालय खंड पीठ की स्थापना के संबंध में पूर्ण प्रस्ताव दिया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठें, उसकी मूल न्यायपीठ से भिन्न स्थान पर, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सी) सं. 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और राज्य सरकार से अवसंरचना प्रदान करने और व्यय को पूरा करने की तैयारी को समाविष्ट करते हुए प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात्, संबद्ध उच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति और संबद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति के साथ की गई सिफारिशों के अनुसार स्थापित की जाती हैं ।

उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है । केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के प्रस्तावित न्यापीठ के ब्यौरे जिसके अंतर्गत उड़ीसा उच्च न्यायालय के परामर्श से उसकी अवस्थिति भी है, तैयार करने के लिए अनुरोध किया है । तथापि, अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ (न्यायपीठे) स्थापित करने के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1509

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

बलात्कार मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

1509. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का बलात्कार के मामलों की बेहतर जाँच तथा त्वरित अभियोजन हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण करने की बड़ी योजना के एक भाग के रूप में बलात्कार के मामलों के विचारण हेतु संपूर्ण देश में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने बलात्कार के मामलों के विचारण के लिए ऐसे विशेष एफटीसी की स्थापना करने के लिए एक प्रारूप स्कीम तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : सरकार ब्लात्संग और पॉस्को अधिनियम से संबंधित मामलों के समयबद्ध विचारण और निपटान के लिए संपूर्ण देश में 389 अनन्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉस्को) न्यायालयों के साथ 1023 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएस) की स्थापना करने के लिए एक स्कीम क्रियान्वित कर रही है । यह केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) अक्तूबर, 2019 में प्रारंभ हुई थी । वर्तमान में 609 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं जिसके अंतर्गत 331 अनन्य पॉस्को न्यायालय भी हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार दिसंबर, 2020 तक 36,982 मामलों का निपटान किया है । त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में 140 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अभी तक 89.89 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1510

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां

1510. श्री प्रतापराव जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) गत पंचवर्षीय योजना और चालू वार्षिक योजना के दौरान देश में निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के आधुनिकीकरण और अवसंरचना के विस्तार के लिए आबंटित कुल निधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में आबंटित निधियां पर्याप्त हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आगामी पांच वर्षों में इस आबंटन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना प्रदान करना है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों में संवर्द्धन करने के क्रम में विहित निधि साझा पद्धति में राज्य या संघ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका की अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रायोजित स्कीम का प्रशासन कर रही है । इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का संनिर्माण आता है । उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इस स्कीम के अधीन नहीं आते हैं । इस स्कीम के अधीन 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) के दौरान 3637.93 करोड़

रुपए की राशि जारी की गई है । इस स्कीम के अधीन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2253.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । इस स्कीम के अधीन 12वीं पंचवर्षीय योजना और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1	12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17)	3637.93
2	2017-18	621.21
3	2018-19	650.00
4	2019-20	982.00

(घ) : स्कीम के लिए आबंटन का विनिश्चय वार्षिक आधार पर किया जाता है । आर.ई के लिए 2020-21 में इस स्कीम के अधीन यह आंकड़े 593.00 करोड़ रुपए, बी.ई के लिए 2021-22 में यह आंकड़े 776.00 करोड़ रुपए हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1515

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

+1515. श्री संजय भाटिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण समय पर न्याय पाने में आम लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लोगों के लिए न्याय की त्वरित प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु देशभर में बड़ी संख्या में विभिन्न न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है ;

(ग) सरकार द्वारा एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना, जो कि हरियाणा की बहुप्रतीक्षित मांग रही है, कब तक किए जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार द्वारा देश में जनता के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क), (ख) और (घ) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । न्यायालयों में मामलों का लंबन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है ।

तारीख 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आभासी या भौतिक ढंग से आवश्यक सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई के लिए निदेश जारी किए गए हैं । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को और सलाह दी है कि वे, जहां तक संभव हो, आभासी/भौतिक ढंग से सामान्य कार्यकरण पुनः आरम्भ करें और सभी प्रकार के मामलों का निपटारा करें, जिनके अंतर्गत विचाराधीन कैदी, सिविल मामलों का विचारण, वैवाहिक विवाद, बाल अभिरक्षा के मामले, साक्ष्य का अभिलेखन और अन्य पुराने मामले भी आते हैं । जहां कहीं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक सुनवाई अनुज्ञात की गई है, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है । कोविड-19 के प्रबंधन के लिए हाल ही में एक नया साफ्टवेयर पैच और न्यायालय उपयोक्ता मैन्यूअल विकसित किया गया है । इस उपकरण को न्यायालय में अधिक भीड़ को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए सभी मामलों में स्मार्ट री-सेड्यूलिंग में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है । जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, तारीख 06.04.2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई को विधिक मान्यता देते हुए एक सर्वसमावेशक आदेश जारी किया गया है ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान विडियो कांफ्रेसिंग न्यायालयों के मुख्य सहारे के रूप में उभरी है क्योंकि एकत्रिकरण ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थीं । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.12.2020 तक केवल विडियो कांफ्रेसिंग का उपयोग करके जिला न्यायालयों ने 45,73,159 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय ने 20,60,318 (कुल 66.33 लाख) मामलों की सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने 31.01.2021 तक लॉकडाउन अवधि के दौरान 52,353 मामलों की सुनवाई की ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास

भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **<u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:</u>** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,288.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **<u>न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :</u>** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.01.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ मामलों तथा 13.36 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आभासी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आगामी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए

उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **<u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :</u>** तारीख 01.05.2014 से 25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **<u>बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:</u>** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम विरचित करने के लिए बकाया समिति गठित की गई है ।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **<u>वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:</u>** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 18.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंतर्वलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89.89 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक

विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ग) : हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अनुरोध किया है । तथापि, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथक् उच्च न्यायालय के गठन हेतु प्रस्ताव से सहमत नहीं है । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को इस संबंध में अभी अपनी राय कायम करनी है । हरियाणा राज्य के लिए पृथक् उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है । चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए पृथक् उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1520

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक प्रक्रिया

+1520. श्री विजय बघेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या कोरोना संकट के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । कोई एकमात्र कारक जैसे कोविड को मामलों के लंबित होने से जोड़ा नहीं जा सकता । न्यायालयों में मामलों का लंबन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है ।

तारीख 25 मार्च, 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों को समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए आभासी या भौतिक ढंग से आवश्यक सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई के लिए निदेश जारी किए गए हैं । अधिकतर उच्च न्यायालयों ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को और सलाह दी है कि वे, जहां तक संभव हो, आभासी/भौतिक ढंग से सामान्य कार्यकरण पुनः आरम्भ करें और सभी प्रकार के मामलों का निपटारा करें, जिनके अंतर्गत

विचाराधीन कैदी, सिविल मामलों का विचारण, वैवाहिक विवाद, बाल अभिरक्षा के मामले, साक्ष्य का अभिलेखन और अन्य पुराने मामले भी आते हैं । जहां कहीं जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भौतिक सुनवाई अनुज्ञात की गई है, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल तथा सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है । कोविड-19 के प्रबंधन के लिए हाल ही में एक नया साफ्टवेयर पैच और न्यायालय उपयोक्ता मैन्यूअल विकसित किया गया है । इस उपकरण को न्यायालय में अधिक भीड़ को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए सभी मामलों में स्मार्ट री-सेड्यूलिंग में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है । जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, तारीख 06.04.2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई को विधिक मान्यता देते हुए एक सर्वसमावेशक आदेश जारी किया गया है ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान विडियो कांफ्रेसिंग न्यायालयों के मुख्य सहारे के रूप में उभरी है क्योंकि एकत्रिकरण ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थीं । कोविड लॉकडाउन आरम्भ होने के समय से 31.12.2020 तक केवल विडियो कांफ्रेसिंग का उपयोग करके जिला न्यायालयों ने 45,73,159 मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय ने 20,60,318 (कुल 66.33 लाख) मामलों की सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने 31.01.2021 तक लॉकडाउन अवधि के दौरान 52,353 मामलों की सुनवाई की ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **<u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:</u>** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,288.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की

संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **<u>न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :</u>** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.01.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ मामलों तथा 13.36 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आभासी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आगामी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख

20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **<u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :</u>** तारीख 01.05.2014 से 25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **<u>बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:</u>** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम विरचित करने के लिए बकाया समिति गठित की गई है ।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **<u>वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:</u>** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान

को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 18.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89.89 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1524

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

विधिक सुधार

1524. श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

श्री भगवंत मान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने न्यू इंडिया @75 हेतु रणनीति के अनुसार, नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर्थिक सर्वेक्षण तथा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि समकालीन विकास के अनुरूप विधिक सुधारों का महत्व समय की आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा समाज में "सभी के लिए न्याय" प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : हां, सरकार ने नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को सुधारने के लिए चुनौतियों के समाधान हेतु संयुक्त कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों

के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन कॆ विकास पर जोर भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना: इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना कॆ साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आभासी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है ।

(iii) यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद

(हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iv) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना : तारीख 01.05.2014 से 25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(v) बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी: अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम विरचित करने के लिए बकाया समिति गठित की गई है ।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(vi) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना: वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vii) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल : भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(viii) न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ix) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित विधिक सेवा संस्थाऐं देशभर में राष्ट्रीय स्तर से ताल्लुका स्तर तक नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रियाशील हैं । ये संस्थाऐं विधिक सहायता और परामर्श, विधिक सेवा की पहुंच के क्रियाकलाप करते हैं तथा लोक अदालतों के माध्यम से अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और कार्यान्वयन तथा पीड़ित प्रतिकर स्कीमोें का कार्यान्वयन करते हैं । कोविड-19 की महामारी के परिपेक्ष्य में, जब लोक स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल के अनुसरण किए जा रहे थे, तब विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकी सुविधा नवचार का प्रभावन किया और ई-लोक अदालतेें प्रारंभ की । अब तक, 8 लाख मामले लिए गए हैं जिसमें से 24 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित ई-लोक अदालतों में लगभग 4.07 लाख मामलों का निपटारा किया गया है ।

(x) उपरोक्त के अतिरिक्त, न्याय विभाग ने समाज के निर्धन और सीमांत वर्गों को विधिक सहायता देने के लिए टैली-विधि और प्रो बोनो विधिक सेवा (न्याय बंधु) कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं ।

टैली-विधि सेवा, पंचायती स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो/टैली कांफ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से जोडती है । यह सेवा वर्तमान में 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 285 जिलों (जिसके अंतर्गत 115 आकांक्षी जिले भी हैं) में

29,860 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर प्रचालन में हैं । 31 जनवरी, 2021 तक, 5,81,280 लाभार्थियों को परामर्श दिया जा चुका है । प्रो बोनो विधिक सेवा (न्याय बंधु) कार्यक्रम सीमांत वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए लक्षि्यत है । एंड्रॉइड और आईओएस फोनों के लिए न्याय बंध मोबाइल ऐप्लीकेशन, रजिस्ट्रीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं के साथ रजिस्ट्रीकृत आवेदकों को जोड़ने के लिए विकसित की गई है । 31 जनवरी, 2021 तक, 2370 अधिवक्ता और 1069 लाभार्थी इस कार्यक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जा चुके हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1524

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

विधिक सुधार

1524. श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

श्री भगवंत मान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने न्यू इंडिया @75 हेतु रणनीति के अनुसार, नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर्थिक सर्वेक्षण तथा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि समकालीन विकास के अनुरूप विधिक सुधारों का महत्व समय की आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा समाज में "सभी के लिए न्याय" प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : हां, सरकार ने नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को सुधारने के लिए चुनौतियों के समाधान हेतु संयुक्त कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों

के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन कॆ विकास पर जोर भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना: इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना कॆ साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आभासी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है ।

(iii) यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद

(हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iv) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना : तारीख 01.05.2014 से 25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(v) बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी: अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम विरचित करने के लिए बकाया समिति गठित की गई है ।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(vi) वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना: वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vii) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल : भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(viii) न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ix) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित विधिक सेवा संस्थाऐं देशभर में राष्ट्रीय स्तर से ताल्लुका स्तर तक नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रियाशील हैं । ये संस्थाऐं विधिक सहायता और परामर्श, विधिक सेवा की पहुंच के क्रियाकलाप करते हैं तथा लोक अदालतों के माध्यम से अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और कार्यान्वयन तथा पीड़ित प्रतिकर स्कीमोें का कार्यान्वयन करते हैं । कोविड-19 की महामारी के परिपेक्ष्य में, जब लोक स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल के अनुसरण किए जा रहे थे, तब विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रौद्योगिकी सुविधा नवचार का प्रभावन किया और ई-लोक अदालतेें प्रारंभ की । अब तक, 8 लाख मामले लिए गए हैं जिसमें से 24 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित ई-लोक अदालतों में लगभग 4.07 लाख मामलों का निपटारा किया गया है ।

(x) उपरोक्त के अतिरिक्त, न्याय विभाग ने समाज के निर्धन और सीमांत वर्गों को विधिक सहायता देने के लिए टैली-विधि और प्रो बोनो विधिक सेवा (न्याय बंधु) कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं ।

टैली-विधि सेवा, पंचायती स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो/टैली कांफ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से जोडती है । यह सेवा वर्तमान में 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 285 जिलों (जिसके अंतर्गत 115 आकांक्षी जिले भी हैं) में

29,860 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर प्रचालन में हैं । 31 जनवरी, 2021 तक, 5,81,280 लाभार्थियों को परामर्श दिया जा चुका है । प्रो बोनो विधिक सेवा (न्याय बंधु) कार्यक्रम सीमांत वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए लक्षि्यत है । एंड्रॉइड और आईओएस फोनों के लिए न्याय बंध मोबाइल ऐप्लीकेशन, रजिस्ट्रीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं के साथ रजिस्ट्रीकृत आवेदकों को जोड़ने के लिए विकसित की गई है । 31 जनवरी, 2021 तक, 2370 अधिवक्ता और 1069 लाभार्थी इस कार्यक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जा चुके हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1594
जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

1594. श्री टी.आर. बालू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या न्यायालयों की संख्या में वृद्धि लंबित मामलों को निपटाने हेतु अपर्याप्त रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामलों की निपटान अवधि के और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन के द्वारा न्याय तक पहुंच बढ़ाई जा सकती है, सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर
विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : न्यायालयों में मामलों की सुनवाई करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है ।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या का वैज्ञानिक निर्धारण करने के लिए एक पद्धति विकसित करने के लिए कहा था । विधि आयोग ने अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रतिव्यक्ति मामलों का फ़ाईल किया जाना भौगोलिक इकाई के अनुसार मूल रूप से परिवर्तित होता है क्योंकि मामलों का फ़ाईल किया जाना जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से सहबद्ध है । इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की संख्या की पर्याप्तता को अवधारित करने के लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात को वैज्ञानिक मानदंड नहीं समझा था । विधि आयोग ने यह पाया है

कि मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया बैकलॉग सृजित न हो,“निपटान की दर” पद्धति अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है ।

अगस्त, 2014 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) को विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा करने और इस संबंध में अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए कहा था । एनसीएमएस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, यह अभिमत व्यक्त करती है कि लंबे समय में, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश संख्या, प्रत्येक न्यायालय में मामला भार के निपटान के लिए अपेक्षित कुल “न्यायिक घंटो” का अवधारण करने के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्धारित की जाए । अंतरिम में, समिति ने “भार” निपटान पहुंच अर्थात् स्थानीय स्थितियों की प्रकृति और जटिलता द्वारा निपटान भार निर्धारित किया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, तारीख 02.01.2017 के अपने आदेश में न्याय विभाग ने सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी है जिससे वे जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अपेक्षित पदसंख्या का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की काडर की पदसंख्या वर्ष 2019 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर 30 से 33 तक और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2014 से 2021 तक 906 से 1080 तक बढ़ाई गई थी । जिला और जिला/अधीनस्थ (तहसील/तालुका) से नीचे स्तर पर नए न्यायालय उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार की मामले में कोई भूमिका नहीं है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1596

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में हिंदी भाषा को बढ़ावा

+1596. श्री कनकमल कटारा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा न्यायालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायालयों के कामकाज में हिंदी को स्थानीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में दिये गए निर्णयों को स्थानीय और हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है । निचले न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग राज्यों का विषय है ।

संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) यह उल्लेख करता है कि उच्चतम न्यायालय में और प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । संविधान के अनुच्छेद 348 का खंड (2) यह उल्लेख करता है कि खंड (1) के उपखंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का, या उस राज्य के किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का, प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय में यह उल्लिखित किया गया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग से

संबंधित किसी प्रस्ताव पर, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाए ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन, वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था । ऊपर यथा उल्लिखित मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, हिंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में प्राधिकृत किया गया था ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, बारह जन भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद किया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है । ये बारह भाषाएं हैं : असमिया, बंगला, हिंदी, कन्नड, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलगु, उर्दू, नेपाली, मलयालम और पंजाबी । निर्णयों का अनुवाद, निम्नलिखित प्रवर्गों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के अधीन उद्भूत होने वाले मामलों से संबंधित है :

1. श्रम मामले ;
2. किराया अधिनियम मामले ;
3. भूमि अर्जन और अधिग्रहण मामले ;
4. सेवा मामले ;
5. प्रतिकर मामले ;
6. दांडिक मामले ;
7. कुटुंब विधि मामले ;
8. साधारण सिविल मामले ;
9. स्वीय विधि मामले ;
10. धार्मिक और पूर्त विन्यास मामले ;
11. साधारण धन और बंधक मामले ;
12. सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम के अधीन बेदखली मामले ;
13. भूमि विधि तथा कृषि अभिधृतियां ; और
14. उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामले ।

.....

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1598

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ई-कोर्ट

1598. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने ई-कोर्ट पर व्यय किए जा रहे धन और इसके महत्व के मद्देनजर ई-कोर्ट नीति के कार्य और विभिन्न प्रकार के मुकदमों पर नीति के कार्यान्वयन के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई योजना आने वाली है और क्या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के पोर्टल का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी, हां । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-2, न्याय विभाग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है । ई-न्यायालय परियोजना के कार्य और प्रभाव के निर्धारण हेतु मध्यावधि और अंत्यावधि बाह्य मूल्यांकन और आंकलन का उपबंध है ।

मध्यावधि आंकलन रिपोर्ट प्रारूप, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) से प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य टिप्पणी भी हैं,-

- **90-100%** नमूना न्यायालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर होने का उपबंध है और मामला सूचना तंत्र (सीआईएस) संस्थापित किए गए हैं ।

- सेवाएं, जैसे मामला सूचना तंत्र (सीआईएस), जस्टआईएस मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) वेबसाइट का अक्सर प्रयोग किया जाता है और यह एक सरल उपयोक्ता अंतरापृष्ठ है ।
- न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बहुमत का यह मानना है कि निर्णयज विधियों तक सहज पहुंच के परिणामस्वरूप बेहतर अनुसंधान से ई-न्यायालय परियोजना ने मामलों के लंबन में कटौती की है ।
- पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों में धीमी परंतु लगातार कमी होना उपदर्शित हुआ है ।
- वर्ष 2017 से, जिला न्यायालयों की निपटान दर में भी तीव्र बढ़ोतरी पायी गई है ।

(ग) : उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *130

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोक्ताओं के रिक्त पद

***130. श्री गौतम सिगमणि पोन :**

श्री जी.सेल्वम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोक्ताओं की संस्वीकृत संख्या और रिक्त पदों की संख्या न्यायालय-वार कितनी-कितनी है ;

(ख) सरकार द्वारा उनकी संस्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या में अंतर को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोक्ताओं के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थानों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है तथा उनकी प्रशिक्षु क्षमताएं क्या हैं ;

(घ) तमिलनाडु राज्य में उन न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोक्ताओं की रैंक-वार कुल संख्या कितनी हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने चयन प्रक्रिया को तेज करने एंव तर्कसंगत बनाने हेतु कोई केन्द्रीय चयन तंत्र बनाने का सुझाव दिया है और यदि हां तो इस संबंध में राज्यों एंव संघ राज्यक्षेत्रों की प्रतिक्रियाएं/सुझाव क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*130 जिसका उत्तर 10.02.2021 को दिया जाना है के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : तमिलनाडु राज्य में न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के संबंध में स्वीकृत संख्या और रिक्तियों के ब्यौरे क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दिए गए हैं ।

(ख) : संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 65% कोटा के अधीन जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के कैडर में रिक्तियों की संख्या 18 थी । इन 18 पदोन्नत जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति आदेश तारीख 03.02.2021 को जारी कर दिए गए हैं । 10% कोटा के अधीन जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के कैडर में रिक्तियों की संख्या 8 है जो वर्तमान में रिक्त हैं । 25% कोटा के अधीन जिला न्यायाधीश के कैडर में रिक्तियों की संख्या 34 है जिनके लिए 32 रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी । उक्त चयन प्रक्रिया के लिए प्रारम्भिक परीक्षा 01.11.2020 को आयोजित की गई । 6 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, जिन्होंने प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, 30.01.2021 तथा 31.01.2021 को आयोजित की गई । तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के कैडर में रिक्तियों की संख्या आज तारीख तक 67 है जिसके लिए तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के कैडर में विद्यमान और होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए 123 सिविल न्यायाधीशों का पैनल उपलब्ध है । तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश के कैडर में रिक्तियों की संख्या आज तारीख तक 123 है । तमिलनाडु की सरकार द्वारा 176 रिक्तियों अर्थात् सिविल न्यायाधीश के कैडर में विद्यमान और होने वाली रिक्तियों के लिए तारीख 09.09.2019 को अधिसूचना जारी की गई है । उक्त चयनों के लिए प्रारम्भिक परीक्षा 24.11.2019 को आयोजित की गई तथा उक्त चयनों के लिए मुख्य परीक्षा 17.10.2020 और 18.10.2020 को आयोजित की गई । उक्त चयनों के लिए मौखिक परीक्षा 08.02.2021 और 09.02.2021 को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के कार्यालय में आयोजित होने के लिए नियत की गई थी ।

सहायक लोक अभियोजक ग्रेड 2 के संबंध में, तमिलनाडु की सरकार ने

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के समन्वय से अनंतिम रूप से 47 अभ्यर्थियों का चयन किया है तथा उनके प्रमाणपत्रों और उनके पूर्ववृत्तों की वास्तविकता के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है । सहायक लोक अभियोजक, ग्रेड 2 की पैनल वर्ष 2019-20 की 50 रिक्तियों के संबंध में, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को उक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना अभी जारी करनी है । तमिलनाडु सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विभिन्न कैडरों में समय-समय पर रिक्तियां होने पर अभियोजकों को नियमित रूप से पदोन्नत किया गया है ।

(ग) : न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थाओं की उनकी प्रशिक्षु क्षमताओं के साथ कुल संख्या के राज्यवार ब्यौरे **उपाबंध-3** पर दिए गए हैं ।

(घ) : न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों, जिन्हें रैंक अनुसार तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्ष के दौरान आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, की कुल संख्या के ब्यौरे **उपाबंध-4** पर दिए गए हैं ।

(ङ) : संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में इसे संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय इसे राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से करते हैं ।

उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर के मामले में एक न्यायिक आदेश के द्वारा, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण करने हेतु एक प्रक्रिया और समय-सीमा अभिकल्पित की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी, 2007 का यह आदेश नियत करता है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को प्रारम्भ होकर उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त हो जाएगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य में विशेष भौगोलिक या जलवायु संबंधी दशाओं या अन्य सुसंगत दशाओं पर आधारित किसी कठिनाई की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तनों के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

उपाबंध-1

तमिलनाडु राज्य में न्यायिक अधिकारी की स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों के ब्यौरे

क्र.सं.	**कैडर**	**स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**	**रिक्ति**
1.	जिला न्यायाधीश	333	273	60
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश	342	275	67
3.	सिविल न्यायाधीश	623	500	123

उपाबंध-2

तमिलनाडु राज्य में अभियोजकों की स्वीकृत संख्या और रिक्तियों के ब्यौरे

क्र. सं.	न्यायालय का वर्णन	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्ति
1.	संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक की रैंक में विशेष लोक अभियोजक	3	2	1
2.	पॉक्सो अधिनियम के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक की रैंक में विशेष लोक अभियोजक	16	16	0
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक	31	25	6
4.	अपर लोक अभियोजक की रैंक में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक और अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति	34	19	15
5.	जिला-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-1	97	76	21
6.	सहायक लोक अभियोजक की रैंक में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक और अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति	6	4	2
7.	न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-2	203	117	86
	कुल योग	**390**	**259**	**131**

उपाबंध-3

न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध प्रशिक्षु क्षमताओं के साथ प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थाओं की कुल संख्या के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम	प्रशिक्षण अकादमियों/संस्थाओं की संख्या	न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु क्षमता
1.	तेलंगाना	01	300
2.	असम*	02	440
3.	बिहार	01	150 (व्याख्यान हाल क्षमता) 350 (सभागार में बैठने की क्षमता)
4.	पंजाब और हरियाणा	01	190 (6 व्याख्यान हाल क्षमता) 286 (सभागार में बैठने की क्षमता)
5.	छत्तीसगढ़	01	100 से अधिक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के बैठने की क्षमता वाले दो क्लास रुम उपलब्ध हैं । वर्तमान में न्यायिक अकादमी द्वारा अभियोजकों को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है ।
6.	दिल्ली	01	170 (2 व्याख्यान हाल, 1 सेमिनार हाल और 1 सम्मेलन हाल)
7.	गुजरात	01	240 (4 व्याख्यान हाल क्षमता) 80 (कन्वेशन हाल) 80 (4 परिचर्चा कक्ष) 68 (2 सम्मेलन कक्ष क्षमता)
8.	हिमाचल प्रदेश	01	198 (1 सम्मेलन हाल, 1 सभागार और 3 व्याख्यान कक्ष)
9.	जम्मू-कश्मीर	02	जम्मू में अकादमी परिसर की प्रशिक्षु क्षमता : 70 (व्याख्यान हाल क्षमता) 20 (सम्मेलन हाल में बैठने की क्षमता) कश्मीर में अकादमी परिसर की प्रशिक्षु क्षमता : 35 (सम्मेलन हाल में बैठने की क्षमता) 50 (व्याख्यान हाल क्षमता) 280 (सभागार में बैठने की क्षमता)
10.	झारखंड	01	40 (4 व्याख्यान हाल क्षमता) 467 (सभागार में बैठने की क्षमता)
11.	कर्नाटक	01	356 (8 व्याख्यान हाल क्षमता) 290 (सभागार में बैठने की क्षमता)
12.	केरल	01	128

13.	मध्य प्रदेश	01	100
14.	महाराष्ट्र	02	ठाणे में महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी की प्रशिक्षु क्षमता : 390 (क्लास रूम क्षमता) 410 (सभागार में बैठने की क्षमता) नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षु क्षमता : 40
15.	मणिपुर	01	154
16.	मेघालय	01	20
17.	ओडिशा	01	100
18.	राजस्थान	01	200 ऑनलाइन-300
19.	सिक्किम	01	100
20.	तमिलनाडु	01	चेन्नई में प्रशिक्षु क्षमता : 200 (सभागार क्षमता) 110 (सम्मेलन हाल क्षमता) 80 (व्याख्यान और बैठक हाल क्षमता) क्षेत्रीय केन्द्र कोयम्बतूर में प्रशिक्षु क्षमता : 200 (सभागार क्षमता) 80 (व्याख्यान और बैठक हाल क्षमता) क्षेत्रीय केन्द्र मदुरई में प्रशिक्षु क्षमता : 200 (सभागार क्षमता) 50 (व्याख्यान और बैठक हाल क्षमता)
21.	त्रिपुरा	01	50
22.	उत्तर प्रदेश	02	320 (7 व्याख्यान हाल क्षमता) 500 (1 सभागार में बैठने की क्षमता)
23.	उत्तराखंड	01	120
24.	पश्चिमी बंगाल	01	240 (4 क्लास रूम में बैठने की क्षमता) 320 (2 सम्मेलन हाल)

*इसके अन्तर्गत असम, नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं ।

उपाबंध-4

न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों की, रैंक-वार कुल संख्या के ब्यौरे, जिन्हें तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान रैंक-वार आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

कैडर	**वर्ष**			**कुल**
	2018	**2019**	**2020**	
जिला न्यायाधीश	1520	814	1863	4197
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश	1505	758	2257	4520
सिविल न्यायाधीश	3008	1926	4144	9078
लोक अभियोजक	491	299	शून्य	790
कुल योग	**6524**	**3797**	**8264**	**18585**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2603

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ाना

2603. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान न्यायिक प्रक्रिया के समग्र कामकाज में कनेक्टिविटी का महत्व अधिक हो गया है और भारत आभासी सहूलियत के माध्यम से मामलों के संचालन में एक वैश्विक लीडर बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का देश के सभी छोटे और जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक और सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि तक कुल कितने न्यायालय कम्प्यूटरीकृत किए गए और कितनों में कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी छोटे और जिला न्यायालयों को समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन कनेक्टिविटी प्रदान करने और जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : कोविड अवधि के दौरान, लाकडाऊन के अनुसरण में, न्यायालयों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की। माननीय उच्चतम न्यायालय एक वैश्विक मार्गदर्शक के रुप में उभरा जिसने 52353 मामलों की सुनवाई की । उच्च न्यायालयों ने 24,55,139 मामलों की सुनवाई की, और अधीनस्थ

न्यायालयों ने 31.01.2021 तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,83,021 मामलों की सुनवाई की ।

(ग) से (ड.) : ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण-2 में 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूट्रीकरण पूरा हो चुका है । ई-न्यायालय चरण-2 के भाग के रुप में, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) परियोजना के अधीन, आप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी), रेडियो आवृत्ति (आर एफ), वेरी स्माल अपरेचर टर्मिनल (वीएसएटी) आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से सम्पूर्ण भारत में स्थित 2992 न्यायालय परिसरों में से 2939 न्यायालय परिसरों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । आभाषी सुनवायी को सक्षम बनाने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका स्तर के न्यायालय परिसरों सहित सभी न्यायालय परिसरों में से प्रत्येक को एक वीडियो कान्फ्रेंस उपस्कर प्रदान किया गया है । वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी सी) अवसंरचना में और वृद्धि करने के लिए, उच्चत्तम न्यायालय की ई-समिति ने इन न्यायालय परिसरों में 14,443 न्यायालय कक्षों को प्रदान किए जाने वाले वी सी उपस्करों का अनुमोदन कर दिया गया है जिसके लिए 28.88 करोड़ तक की निधि जारी की जा चुकी है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2607

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

ई-न्यायालय

2607. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवंसरचना को अद्यतन करने के दृष्टगित देश में ई-न्यायालय परियोजना लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक कितनी निधि जारी की गई है ;

(ग) सभी न्यायालयों को कब तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा ;

(घ) भारत के उच्चतम न्यायालय और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : जी हां । सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग में संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)परिचालन के लिए ई-न्यायालय मिशन पद्ति परियोजना का क्रियान्वयन किया है । ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना चरण-2 वर्ष 2015 में अपने क्रियान्वयन के साथ आरंभ की गई । अब तक 18735 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया और 2992 न्यायालय परिसरों में से 2939 न्यायलय परिसरों के लिए व्यापक क्षेत्र नेटवर्क की सुविधा प्रदान की गई है । ई-

न्यायालय चरण-2 के लिए 1670 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत के लिए, सरकार ने अब तक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 1548.13 करोड़ रुपये की रकम को जारी किया है ।

ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना और संचार प्रोद्योगिकी परिचालन के साथ, वादकारियों, वकीलों और न्यायपालिका को कई सेवाएं प्रदान की गई हैं जो न्यायिक सेवा के शीघ्र प्रदान को सुकर बनाती है । ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे ई-न्यायालय वेब पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्र, ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस और सूचना कियोस्क आधारित टच स्क्रीन के माध्यम से वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए सभी ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड, परियोजना के अधीन ऑनलाइन प्लेटफार्म के रुप में सृजित किया गया जो देश के कंप्यूटरीकृत और जिला अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी एनजेडीजी पर इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 18.28 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों तथा 13.88 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय के संबंध में प्रास्थिति सूचना तक पहुंच सकते हैं। वीडियो कान्फ्रैसिंग सुविधा को 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी कारावासों के मध्य सुकर बनाया गया है ।

वर्चुअल सुनवाई के लिए ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में ताल्लुक स्तर न्यायालय परिसर सहित सभी न्यायालय परिसर के लिए एक वीडियो कान्फ्रैसिंग उपस्कर प्रदान किया गया है। वीडियो कान्फ्रैसिंग (वीसी) अवसंरचना को आगे और बढाने के लिए उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने इन न्यायालय परिसरों में 14443 न्यायालय कक्ष प्रदान करने के लिए वीसी उपस्कर का अनुमोदन किया है जिसके लिए 28.88 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है । महामारी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों ने 2455139 मामलों की सुनवाई की, जब कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने तारीख 31.1.2021 तक वीडियो कान्फ्रैसिंग से 5183021 मामलों की सुनवाई की है ।

(घ) : तारीख 1/2/2021 के अनुसार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में 66072 मामलो लंबित हैं । तारीख 3.3.2021 को एनजेडीजी पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने लंबित कुल मामले 20993 हैं ।

(ड.) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र

के भीतर आता है । यद्यपि सरकार की न्यायालयों में मामले के निपटान में कोई भूमिका नहीं है, केंद्रीय सरकार मामलों के तेजी से निपटान और लंबित मामलों में कमी के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका प्रणाली विभिन्न रणनीतिक पहलुओं जैसे न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुधार करने के माध्यम से बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए न्यायपालिका तक एक समन्वय दृष्टिकोण अंगीकार किया है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, न्यायिक अधिकारियों/ न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, पुरानी और अप्रचलित विधियों का निरसन, विशेष प्रकार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पहल करना और वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर देना भी सम्मिलित है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2676

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में अवकाश

2676. श्रीमती माला राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में न्यायालयों में अवकाश/छुट्टियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) न्यायालयों में लंबित कार्यों के मद्देनजर ऐसे दीर्घ अवकाशों, के क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य दिवसों/घंटों और अवकाशों की अवधि संबंधित न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। जिला/अधीनस्थ न्यायालय के कार्यदिवसों के साथ-साथ कार्य के घंटे राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित न्यायालय द्वारा विनियमित होते हैं ।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के क्षेत्र के भीतर आता है । यद्यपि, न्यायालयों में मामलों का निपटान करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, केन्द्रीय सरकार मामलों के तीव्र निपटान और मामलों की लंबितता में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने विभिन्न रणनीतिक पहलों जैसे कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार करना, उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि करना और रिक्त पदों को भरना, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, पुरातन और अप्रचलित विधियों का निरसन, विशेष प्रकार के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए पहल तथा अनुकल्पी विवाद समाधान पर जोर देना इत्यादि के माध्यम से बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन में न्यायपालिका की सहायता करने के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण अपनाया है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2683

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

दिशा कार्यक्रम

2683. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :

डॉ. सुकान्त मजूमदार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइन इनोवेशन सोल्यूशन (दिशा) का क्रियान्वयन कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी निधि आवंटित की गई ;

(ग) क्या सरकार न्याय की पहुँच परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकार देश में उक्त परियोजना के अंतर्गत टेली लॉ, नया बंधु और न्याय मित्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइन इनोवेशन सोल्यूशन (दिशा) स्कीम का उद्देश्य 2020-21 से टेलि-विधि, न्याय बंधु, न्याय मित्र कार्यक्रम और समर्पित शिक्षा संसूचना (आईईसी) और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अवयवों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच के लिए विस्तृत एकीकृत साधन प्रदान करना है । वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 40 करोड रूपए की रकम का आबंटन किया गया है ।

(ग) और (घ) : जी हां, सरकार, वर्ष 2012 से पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघराज्य क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच का कार्यान्वयन कर रहीं है । मुख्य जोर वाले क्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकारियों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य महिला आयोगों, राज्य संसाधन केंद्रों के समन्वयन से समुदाय को सुविधा प्रदान करने के लिए विधिक साक्षरता, विधिक जागरूकता तथा विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करना है ।

(ङ) से (छ) : जी हां, सरकार, अप्रैल 2017 से टेलि-विधि, न्याय बंधु और न्याय मित्र का कार्यान्वयन कर रही है, जिन्हे दिशा द्वारा सम्मिलित किया जा रहा है । टेलि-विधि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित कॉमन सेवा केंन्द्रों (सीएससी) पर उपलब्ध टेलि/वीडियो कांन्फ्रेसिंग सुविधाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं से विधिक सलाह प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद और शोषित व्यक्तियों को जोडना है । 28 फरवरी, 2021 तक 29 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 285 जिलों (115 आकांक्षी जिलों सहित) में स्थित 29,860 सीएससी के माध्यम से 6,61,414 लाभार्थियों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और 6,47,193 लाभार्थी सलाह प्राप्त कर चुके हैं । न्याय विभाग, उच्च न्यायालय में प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफार्मो तथा न्याय बंधु पैनलों के सृजन के माध्यम से रूचि रखने वाले प्रो बोनो अधिवक्ताओं के नेटवर्क के सृजन के लिए तथा उनको रजिस्ट्रीकृत लाभार्थियों को जोडने की सुविधा प्रदान करने हेतु न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है । इसका विधि विद्यालयों में प्रो बोनो संस्कृति आरंभ करने का उद्देश्य भी है । 28 फरवरी, 2021 तक 2477 अधिवक्ता न्याय बंधु के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो चुके हैं, 09 उच्च न्यायालयों ने न्याय बंधु पैनल सृजित किए हैं तथा 29 विधि विद्यालय प्रो बोनो क्लब स्कीम (पीबीसीएस) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो चुके हैं । न्याय मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य स्तर पर दस वर्ष या उससे अधिक पुराने लंबित मामलों के निपटारे को सुकर बनाना है । अन्य कदमों के अंतर्गत नागरिकों के बीच न्याय तक पहुंच के संवर्धन हेतु विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2698

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय में लंबित मामले

+2698. श्री चुन्नीलाल साहू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु नई नीति के अन्तर्गत कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या लंबित मामलों का मुख्य कारण न्यायाधीशों की कमी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ग) : न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है ।

तथापि, सरकार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं । सरकार द्वारा स्थापित न्याय के परिदान और

विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, न्याय के बेहतर प्रदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **<u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना</u>:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,294.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 04.03.2021 तक 20,070 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 04.03.2021 तक 17,735 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,846 न्यायालय हाल और 1,842 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **<u>न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना</u> :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 22.02.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 03.03.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.28 करोड़ मामलों तथा 13.88 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल

सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **<u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना</u> :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 576 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 524 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
04.03.2021	24,283	19,295

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **<u>बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी</u>:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए

बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है ।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **<u>वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना</u>:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल</u> :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए 894 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने

एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 135.26 करोड़ रुपए जारी किए गए । 616 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 330 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होने 31.01.2021 तक 39653 मामले निपटाए ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ख) : गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ और मध्यप्रदेश में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	2019	2020	2021 (05.03.2021 तक)
1	छत्तीसगढ	69316	75836	76650
2	मध्यप्रदेश	357929	362932	371191

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2746

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्याय कौशल

2746. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने समय और पैसा बचाने, त्वरित न्याय दिलाने तथा इसके लिए लंबी यात्रा से बचाने और अनावश्यक विलंब से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न असमानताओं को कम करने के लिए 'न्याय कौशल' नामक ई-रिसोर्स केंद्र के साथ-साथ वर्चुअल कोर्ट्स भी खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है और इसके लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि स्वीकृत/व्यय की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : ई-संसाधन केन्द्र, न्याय कौशल बोम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ द्वारा आरंभ किया गया है । यह अक्तूबर, 2020 से कार्य कर रहा है, यह वकीलों और मुविक्कलों के लिए ई-फाइल करने, वर्चुअल सुनवाई करने और अन्य ई-न्यायालयी सेवाओं, आदि की प्रसुविधा प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, यातायात चालानों से संबंधित मामलों का विचारण करने के लिए वर्चुअल न्यायालय भी आरंभ किए गए है । वर्तमान में 7 राज्यों/संघ-राज्यक्षेत्रों अर्थात् दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), चेन्नई (तमिलनाडु), बंगलुरु (कर्नाटक), कोच्चि (केरल), नागपुर (महाराष्ट्र), गुवाहाटी (असम) और पुणे (महाराष्ट्र) में नौ वर्चुअल न्यायालय हैं । तारीख 20 जनवरी, 2021 तक इन 9 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 41 लाख से अधिक मामले निपटाए गए हैं ।

(ख) : ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय-वार जारी निधि की प्रास्थिति उपाबंध पर दी गई है ।

****

उपाबंध

न्याय कौशल के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2746 जिसका उत्तर 10.03.2021 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय-वार जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	**ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन जारी की गई कुल निधि (करोड़ रुपए में)**
1.	इलाहाबाद	109.48
2.	आंध्र प्रदेश	1.96
3.	बॉम्बे	125.24
4.	कलकत्ता	37.09
5.	छत्तीसगढ	27.31
6.	दिल्ली	26.80
7.	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	11.64
8.	गुवाहाटी (असम)	67.28
9.	गुवाहाटी (मिजोरम)	7.57
10.	गुवाहाटी (नागालैंड)	7.15
11.	गुजरात	72.82
12.	हिमाचल प्रदेश	10.27
13.	जम्मू और कश्मीर	18.98
14.	झारखंड	24.25
15.	कर्नाटक	65.38
16.	केरल	35.03
17.	मध्य प्रदेश	74.05
18.	मद्रास	70.15
19.	मणिपुर	8.52
20.	मेघालय	9.74
21.	ओडिशा	46.41
22.	पटना	55.82
23.	पंजाब और हरियाणा	54.13
24.	राजस्थान	67.80
25.	सिक्किम	6.81
26.	तेलंगाना	1.79
27.	त्रिपुरा	16.90
28.	उत्तराखंड	11.65
	कुल	**1142.30**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *231

जिसका उत्तर बुधवार, 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है

विधि आयोग की रिपोर्ट

***231 श्री राजमोहन उन्नीथन** :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को विभाजन करने की अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराया था और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के मामले में दूर-दराज के वादियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का भी उल्लेख किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में दिल्ली में संविधान पीठ तथा दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में 'केसेसन बेंच' की स्थापना करके उच्चतम न्यायालय के पुनर्गठन की भी सिफारिश की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"विधि आयोग की रिपोर्ट" से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. *231 जिसका उत्तर तारीख 10 मार्च, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर, नियत करे ।

ग्यारहवें विधि आयोग ने वर्ष 1988 में प्रस्तुत की गई "उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि" शीर्षक वाली उसकी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने अर्थात (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय (ii) उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय भारत में अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय अधिविष्ट होना, के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा उसकी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को दोहराया था । विधि आयोग ने यह राय दी थी कि यह वादकारियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी और वहन किए जाने वाले खर्चों में कमी लाएगा । विधि आयोग की 95वीं और 125वीं रिपोर्ट की सिफारिशें भारत के विधि आयोग की वेबसाइट https:lawcommissiionofindia.nic.in/. पर उपलब्ध है ।

18वें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि एक संवैधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जानी चाहिए और चार अपीली न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चैन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुम्बई में स्थापित की जानी चाहिए । विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट की सिफारिशें भारत के विधि आयोग की वेबसाइट https:lawcommissiionofindia.nic.in/. पर उपलब्ध है ।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, उन्होंने यह सूचित किया है कि पूर्ण न्यायालय ने मामले पर तारीख 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में विचार करने के पश्चात् पाया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना संबंधी रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) सं. 36/2016 में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13 जुलाई, 2016 के अपने निर्णय में उपरोक्त मामले को प्राधिकृत उद्घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा था । मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3459

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

+3459. श्री मलूक नागर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पीठ की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव भविष्य हेतु सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय की न्यायपीठ (न्यायपीठें) संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जो उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देख-रेख के लिए प्राधिकृत है, की सहमति से अवसंरचना प्रदान करने और व्यय को पूरा करने की तैयारियों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात स्थापित की जाती है। प्रस्ताव पर सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3489
जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

लोक अदालत

+3489. श्री प्रतापराव जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित लोक अदालतों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन लोक अदालतों में निपटाए गए कुल मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लोक अदालतों को ज्यादा प्रभावी बनाने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य लोक अदालतों, राष्ट्रीय लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाओं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों तथा निपटाए गए मामलों की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरे क्रमशः उपाबंध-क, उपाबंध-ख और उपाबंध-ग पर दिए गए हैं ।

(ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश/निदेश जारी किए हैं, ताकि मामलों की लम्बित संख्या को कम किया जा सके । और, कोविड को ध्यान में रखते हुए, ई-लोक अदालत की संकल्पना की गई जिससे लोगों की न्याय तक पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, जो अन्यथा लोक अदालतों में भागीदारी करने में असमर्थ थे । पहली ई-लोक अदालत तारीख 27.06.2020 को आयोजित की गई और तभी से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-लोक अदालतें आयोजित की गई हैं जिनमें 8.07 लाख मामलों पर विचार किया गया और 4.11 मामलों का निपटारा किया गया ।

(घ) : प्रत्येक वर्ष, नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित करने के लिए वर्ष के लिए कलैण्डर जारी करती है । 2021 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतें 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितम्बर और 11 दिसम्बर को आयोजित होने के लिए नियत हैं । राज्य लोक अदालतें स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

****

उपाबंध-क

श्री प्रतापराव जाधव, संसद सदस्य द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 जिसका उत्तर 17.03.2021 को दिया जाना है के उत्तर में यथानिर्दिष्ट विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (दिसंबर 2020 तक)। के दौरान राज्य लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों और गठित की गई न्यायपीठों की सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारी का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (दिसंबर तक)	
		गठित की गई न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित	गठित की गई न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित	गठित की गई न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित	गठित की गई न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले (मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित मामले दोनो)
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	22	432	1	75	2	290	1	90
2.	आंध्र प्रदेश	9652	16212	9860	13731	8493	11400	1915	21413
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	48	3	26	47	118	6	25
4.	असम	748	109151	576	58278	419	33084	3	1
5.	बिहार	784	2283	1041	1361	931	1256	26	0
6.	चंडीगढ़	12	43	12	88	12	28	4	0
7.	छत्तीसगढ	1035	11448	629	5687	610	1662	195	2270
8.	दादरा और नागर हवेली	1	10	1	5	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	55	3685	69	4393	52	16340	185	19857
11.	गोवा	41	623	8	132	5	81	0	0
12.	गजरात	6254	19074	5555	18662	4542	20611	1208	13028
13.	हरियाणा	58876	149528	69880	143703	66040	124952	17935	26594
14.	हिमाचल प्रदेश	1311	52899	2088	75180	1865	68651	83	3105
15.	जम्मू - कश्मीर	133	4485	107	10611	145	16774	111	4276
16.	झारखंड	690	7906	870	12468	743	14341	231	74234
17.	कर्नाटक	11307	114272	8898	89616	3890	45165	1547	119701
18.	केरल	2206	27038	2356	31732	1972	21408	501	1661
19.	लक्षदवीप	12	13	11	198	2	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	1897	7877	1541	3561	1166	10675	1010	9661
21.	महाराष्ट्र	65	1117	47	798	592	7932	6	96
22.	मणिपर	0	0	2	28	0	0	1	21
23.	मेघालय	1	10	23	166	0	0	0	0
24.	मिजोरम	95	526	85	477	112	552	21	67
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	612	267324	361	82717	101	45210	239	4628
27.	पदचेरी	58	1111	56	1011	49	699	12	150
28.	पंजाब	1100	6980	1034	29266	803	4242	0	0
29.	राजस्थान	4470	73277	4185	10673	3689	6522	238	33838
30.	सिक्किम	120	677	110	729	120	560	90	133
31.	तमिलनाड	3364	19024	3259	17144	2181	16621	379	7398
32.	तेलंगाना	2533	14435	1956	13032	1862	12352	828	19915
33.	त्रिपरा	165	73882	116	57069	35	7353	9	714
34.	उत्तर प्रदेश	204	9569	280	41576	197	3916	162	61725
35.	उत्तराखंड	45	16868	41	7808	72	27258	110	2473
36.	पश्चिमी बंगाल	1821	916855	1650	315654	1307	25698	260	9839
	कल योग	**109695**	**1928682**	**116711**	**1047655**	**102056**	**545751**	**27316**	**436913**

उपाबंध-ख

श्री प्रतापराव जाधव, संसद सदस्य द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 जिसका उत्तर 17.03.2021 को दिया जाना है के उत्तर में यथानिर्दिष्ट विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारी का नाम	2018	2019	2020
		निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	248
2.	आंध्र प्रदेश	95017	97415	37896
3.	अरुणाचल प्रदेश	1338	588	104
4.	असम	31192	21596	12188
5.	बिहार	170983	164984	66451
6.	चंडीगढ़	11783	11188	2569
7.	छत्तीसगढ	70362	57648	24464
8.	दादरा और नागर हवेली	170	2021	1768
9.	दमण और दीव	107	249	31
10.	दिल्ली	75546	71377	83006
11.	गोवा	2704	1565	351
12.	गुजरात	137105	193150	41584
13.	हरियाणा	91141	103298	30298
14.	हिमाचल प्रदेश	20298	25432	5971
15.	जम्मू - कश्मीर	59330	32177	13258
16.	झारखंड	72058	49228	53152
17.	कर्नाटक	99957	281849	334681
18.	केरल	106013	128729	15010
19.	लक्षद्वीप	103	4	8
20.	मध्य प्रदेश	310569	234433	108365
21.	महाराष्ट्र	808625	428376	215837
22.	मणिपुर	1689	1994	204
23.	मेघालय	936	695	303
24.	मिजोरम	1076	495	218
25.	नागालैंड	2328	973	251
26.	ओडिशा	41288	43197	18329
27.	पुदुचेरी	4745	4194	1738
28.	पंजाब	111771	89016	32528
29.	राजस्थान	165621	219098	103060
30.	सिक्किम	233	165	30
31.	तमिलनाडु	475753	340594	88819
32.	तेलंगाना	88135	110838	47560
33.	त्रिपुरा	2845	3354	382
34.	उत्तराखंड	34487	26058	8088
35.	उत्तर प्रदेश	2724616	2484405	1171022
36.	पश्चिमी बंगाल	62637	62890	28596
	कुल योग	**5882561**	**5293273**	**2548368**

श्री प्रतापराव जाधव, संसद सदस्य द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 जिसका उत्तर 17.03.2021 को दिया जाना है के उत्तर में यथानिर्दिष्ट विवरण

विगत वर्षों अर्थात् वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों की बैठकों और इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की संख्या की सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए विवरण

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारी का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (दिसंबर तक)	
		वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठक	वर्ष के दौरान निपटाए गए
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	793	1404	1204	1805	1384	1608	226	689
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	474	312	350	99	263	38	59	1
5.	बिहार	347	78	1688	491	1754	688	747	134
6.	चंडीगढ़	243	3205	247	1653	246	582	186	62
7.	छत्तीसगढ़	1154	163	995	122	918	96	121	8
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	454	11922	502	18897	516	19439	333	6791
11.	गोवा	6	93	19	107	21	57	18	0
12.	गजरात	5	439	23	365	9	120	0	0
13.	हरियाणा	2585	40966	3501	39930	3578	45839	2560	7565
14.	हिमाचल प्रदेश	31	75	35	70	38	112	4	4
15.	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	2032	3137	1668	6414	2738	10517	2526	1269
17.	कर्नाटक	1515	8673	1615	4014	1578	6399	766	2783
18.	केरल	479	818	273	544	276	442	269	166
19.	लक्षदवीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	427	12094	304	951	368	510	266	132
21.	महाराष्ट	787	10089	723	2981	797	3304	329	154
22.	मणिपर	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	555	1583	705	1352	935	1870	357	988
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	3428	19626	3336	9427	4504	8391	1790	2150
29.	राजस्थान	3295	3208	3765	4423	4545	5254	546	252
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाड़	0	0	0	0	245	47	97	25
32.	तेलंगाना	153	4856	222	6243	181	3546	28	173
33.	त्रिपरा	88	49	189	245	147	208	1	0
34.	उत्तर प्रदेश	5964	1663	4956	2340	4274	1230	1699	170
35.	उत्तराखंड	27	5	314	151	461	379	43	163
36.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**24842**	**124458**	**26634**	**102624**	**29776**	**110676**	**12971**	**23679**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3507

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

3507. श्री डी. एम. कथीर आनन्द :

श्री प्रताप सिम्हा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की कुल संख्या कितनी है और मामलों का प्रभावी रूप से निपटान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) मामलों की तुलना में न्यायाधीशों का विद्यमान अनुपात कितना है और क्या सरकार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(क) : तारीख 1.3.2021 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 66727 है । सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए कोविड प्रोटोकाल सन्नियमों के अनुपालन करते हुए मामलों के प्रभावी निपटान के लिए जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस महामारी के दौरान के मामले भी हैं, समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न उपाए किए गए हैं । मामले की सुनवाई वीडियो कान्फ्रैसिंग पद्धति के माध्यम से की जा रही है । महामारी के कारण विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हुए, सात सप्ताह के लिए उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्म कालीन अवकाश को केवल दो सप्ताह के लिए कम किया गया था और पांच सप्ताह को कार्य सप्ताह के रुप में घोषित किया गया था । यद्यपि दो सप्ताह के अवकाश के दौरान, तत्काल सुनवाई के मामले के लिए अवकाश न्यायपीठ की स्थापना की गई थी । इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों की संख्या को कम करने के क्रम में केवल नए स्वीकृत

मामलों आदि के सूचीबद्ध करने के लिए समय-समय पर विविध सप्ताह घोषित किए गए थे जिससे मामलों की अधिकतम संख्या सूचीबद्ध की जा सके । लंबित मामलों को कम करने के उपायों को विरचित करने हेतु उच्चतम न्यायालय में एक बकाया समिति गठित की गई है ।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित आवेदन सम्मिलित है ।

तथापि, सरकार मामलों के तेजी से निपटान और लंबित मामलों में कमी के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने विभिन्न रणनीतिक पहलों जिसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुधार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना भी है, के माध्यम से न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है ।

(ख) और (ग) : उच्चतम न्यायालय में मामलो की तुलना में न्यायाधीशों का विद्यमान अनुपात 1:2301 है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने औचित्य से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पदसंख्या पर विचार करने के लिए जून, 2019 में सरकार से अनुरोध किया था । यद्यपि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद संख्या को नियत करने के लिए कोई मानदंड नहीं है, लंबित मामलों के निपटान की संख्या की दृष्टि में न्यायाधीश पद संख्या में वृद्धि किया जाना सरकार द्वारा विचार किया गया था । उच्चतम न्यायालय की मंजूर पद संख्या में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा तारीख 9.8.2019 से 30 से बढ़ाकर 33 (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर) की वृद्धि की गई है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3525

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ

3525. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमेबाजी के दौरान आम लोगों को उनकी यात्रा और रहने पर होने वाले व्यय कम करने के लिए महाराष्ट्र में बॉम्बे उच्च न्यायालय की मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद स्थित मौजूदा खंडपीठ के अतिरिक्त कोई और नई खंडपीठ स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों की स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : जी, नहीं। जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय की न्यायपीठ (न्यायपीठें) संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जो उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देख-रेख के लिए प्राधिकृत है, की सहमति से अवसंरचना प्रदान करने और व्यय को पूरा करने की तैयारियों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात स्थापित की जाती है। प्रस्ताव पर सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

वर्तमान में, ऐसा कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार से बोम्बे उच्च न्यायालय की नई न्यायपीठ स्थापित करने के लिए प्राप्त हुआ हो ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3526

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

सुविधाओं का विकास

+3526. श्री महाबली सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु कोई केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के अंतर्गत सरकार द्वारा बिहार को कुल कितनी निधी आवंटित / जारी की गई है ; और

(घ) झारखंड में अब तक न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में किस हद तक सुधार किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : संघ सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि सहभाजन पद्धति में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है । यह स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासिक आवास और न्यायालय भवनों का संनिर्माण इसके अंतर्गत आता है । आज तक 397.97 करोड़ रुपए बिहार की राज्य सरकार को मंजूर किए जा चुके हैं ।

(ग) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की प्रास्थिति निम्न प्रकार है :

(रुपए करोड़ में)

राज्य	निम्नलिखित वर्षों के दौरान जारी निधियां			
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (10.03.2021 से)
बिहार	42.90	62.04	87.62	50.72

(घ) : राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकार में निहित होती है। इस स्कीम के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासिक आवासों और न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए निधियां जारी की जाती हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28.02.2021 को झारखंड में न्यायालय हॉलों की संख्या 637 है और 28.02.2021 को आवासिक इकाईयों की संख्या 569 है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, झारखंड राज्य में 26 न्यायालय हॉल और 66 आवासिक इकाईयां संनिर्माणाधीन हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3535
जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में ई-फाइलिंग

3535. श्री बी.बी. पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय न्यायालायों ने ई-फाइलिंग की पद्धति को अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जहां ई-फाइलिंग अनिवार्य है ; और

(ग) सरकार द्वारा भारत की न्यायपालिका में कागज अपव्यय को कम करने और अदालती मामलों के बोझ को खत्म करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने ई-फाइलिंग पद्धति वर्जन 1.0, वर्ष 2018 में डिजाइन और चालित किया है और इस प्रयोजन के लिए (efiling.ecourts.gov.in) एक पोर्टल सृजित किया। यह पोर्टल विधिक कागजों की ई-फाइलिंग को समर्थ बनाता है। ई-फाइलिंग, भारतीय न्यायपालिका में भावी तकनीकी वृद्धि के लिए मुख्य आधार होने के कारण उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वर्जन 1.0 पहले से उपलब्ध है।

ई-फाइलिंग ऐप्लीकेशन, जिला न्यायालय सीआईएस 3.2 और उच्च न्यायालय सीआईएस 1.0 सॉफ्टवेयर में एकीकृत है। उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा ई-फाइलिंग के लिए वर्धित उपयोक्ता अनुकूल विशेषताओं के लिए उन्नत वर्जन 2.0 और वर्जन 3.0 भी विकसित किया गया है। ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर ऐप्लीकेशन का उन्नत वर्जन आधुनिक विशेषताओं, जैसे अधिवक्ता पोर्टफोलियो, अधिवक्ता लिपिक प्रविष्टि मॉड्यूल, कैलेंडर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के साथ एकीकरण, विकसित किया गया है। प्रारूप मॉडल ई-फाइलिंग नियम उच्चतम न्यायालय की ई-

समिति द्वारा विरचित किए गए हैं और भिन्न- भिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित करने के लिए परिचालित किए गए हैं। न्यायालयों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की वर्तमान तैयारी को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों/दस्तावेजों की आज्ञापक ई-फाइलिंग के लिए समय अभी भी अपक्व है।

वर्चुअल न्यायालयों की स्थापना ने कागज अपव्यय में कटौती और न्यायालय वादों के भार को हटाने में सहायता की है। वर्चुअल न्यायालय यातायात चालान मामलों के विचारण के लिए चालित किए गए हैं और इसके पर्याप्त परिणाम मिले हैं। वर्तमान में, सात राज्यों, जैसे–दिल्ली (2 न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरू (कर्नाटक) में ऐसे 9 न्यायालय हैं। ये वर्चुअल न्यायालय पर्यावरण अनुकूल रूप से वादों के न्याय निर्णयन को कागज रहित रीति के साथ अधिरोपित जुर्माने को ई-भुगतान के साथ समर्थ बनाते हैं। वादकारी, ई-फाइलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवाद फाइल कर सकते हैं, वर्चुअल रूप से न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और ऑनलाइन न्यायालय फीस या जुर्माना संदाय कर सकते हैं। न्यायालय वादों के भार को कम करने के लिए सरकार ने न्यायपालिका के सहयोग के लिए न्यायिक तंत्र में लंबन, चरणबद्ध बकाया परिसमापन और विभिन्न विशेष सामरिक पहलों, जैसे–न्यायालयों के अवसंरचनात्मक सुधार करके, जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की पद संख्या में बढ़ोतरी और उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरना, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में विधायी उपाय नीति बनाना, पुराने और पुरातन विधियों के निरसन, विशेष प्रकृत्ति के मामलों का त्वरित निपटान हेतु पहले और अनुकल्पी विवाद समाधान पर बल, आदि भी हैं, समन्वयक पहुंच अंगीकृत की है।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3539

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

ई-न्यायालय

3539. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-न्यायालय समेकित मिशन पद्धति परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 में जिला स्तर और उच्च न्यायालयों में कितने ई-न्यायालय स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) किन जिलों में ई-न्यायालय मिशन कार्यान्वित किया गया है और वर्ष 2020 में किन राज्यों के उच्च न्यायालयों में ई-न्यायालय चैंबर्स हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने के लिए ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना का कार्यान्वयन किया है । वर्ष 2020 के दौरान ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना में कुल 1980 न्यायालयों को जोड़ा गया है । वर्ष 2020 में कंप्यूटरीकृत न्यायालयों के राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए हैं । ऐसे राज्य तथा जिले जहां ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया गया है, के नाम **उपाबंध-2** में दिए गए हैं ।

****

उपाबंध -1

ई-न्यायालय संबंधी तारीख 17/3/2021 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3539 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । वर्ष 2020 में कंप्यूटरीकृत न्यायालयों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	150
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	15
3.	बॉम्बे	महाराष्ट्र	122
4.	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल	30
5.	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	77
6.	दिल्ली	दिल्ली	254
7.	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	13
		असम	25
		मिजोरम	8
		नागालैंड	0
8.	गुजरात	गुजरात	160
9.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	43
10.	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए समान उच्च न्यायालय	जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	0
11.	झारखंड	झारखंड	96
12.	कर्नाटक	कर्नाटक	134
13.	केरल	केरल	1
14.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	160
15.	मद्रास	तमिलनाडु	116
16.	मणिपुर	मणिपुर	1
17.	मेघालय	मेघालय	3
18.	उड़ीसा	ओडिशा	152
19.	पटना	बिहार	117
20.	पंजाब और हरियाणा	हरियाणा	28
		पंजाब	25
21.	राजस्थान	राजस्थान	146
22.	सिक्किम	सिक्किम	4
23.	तेलंगाना	तेलंगाना	0
24.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	15
25.	उत्तराखंड	उत्तराखंड	85
	योग		**1980**

उपाबंध -2

ई-न्यायालय संबंधी तारीख 17/3/2021 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3539 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों के राज्य/संघराज्य क्षेत्र वार और जिलावार ब्यौरे निम्नानुसार हैं ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जिला
1.	अंदमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कडपा, कुरनूल, कृष्णा, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी
3.	असम	कामरूप मेट्रो, तिनसुकिया, शिवसागर, मोरीगांव, लखीमपुर, सोनितपुर, डिब्रूगढ़, दारंग, बोंगईगांव, नागांव, जोरहाट, करीमगंज, कछार, नालारी, धुबरी, धेमाजी, गोलगप्पा, गोलाघाट, बारपेटा, हैलाकांडी, कैलाकांडी , बक्सा, दीमा हसाओ
4.	बिहार	पटना, कैमूर, भभुआ, समस्तीपुर, सारण में छपरा, कटिहार, बेगूसराय, बांका, पूर्णिया, मोतिहारी, मुंगेर, मधेपुरा, रोहतास सासाराम, खगड़िया, जमुई, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, सौपाल, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, बेतिया, सीवान, नालंदा, सीतामढ़ी, भोजपुर, भागलपुर, गया, जहानाबाद, शेहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली
5.	चंडीगढ़,	चंडीगढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, धमतरी, रायगढ़, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, कोरिया, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, जशपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, कोंडागांव, बालोदाबाजार, मुंगेली, बलरामपुर, रामानुजगंज
6.	दिल्ली	उत्तर पूर्व, शाहदरा, पूर्व, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली, मध्य, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व
7.	दीव और दमण	दीव, दमण
8.	दादरा और नागर हवेली	सिलवासा
9.	गोवा	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा

10.	गुजरात	गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, महेसाणा, राजकोट, अमरेली, आनंद, पालनपुर के बनासकांठ, भरुच, भावनगर, दाहोद, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, नडियाद में खेड़ा, भुज में कच्छप, गोधरा में पंचमहल, पाटन, हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर, वडनगर में पंचमहल,नवसारी, नर्मदा, तापी, वलसाड, पोरबंदर, वेरावल में गिर सोमनाथ, मोदासा में अरावली, मोरबी, देवभूमि द्वारका में खंभालिया, छोटा उदेपुर, महिसागर में लुनावाड़ा, बोटाड
11.	हरियाणा	करनाल, सिरसा, अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, फतेहाबाद, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, नूंह, यमुनानगर, पलवल
12.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना, सोलन, मंडी, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला
13.	जम्मू-कश्मीर	कठुआ, उधमपुर, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल, बडगाम, रियासी, शोपियां, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, बांदोरा, जम्मू, कुलगाम, सांबा, किश्तवार
14.	झारखंड	बोकारो, दुमका, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा, गुमला, गोड्डा, हजारीबाग, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, जामताड़ा, चतरा, पाकुड़, सेरायकेला, देवघर, डाल्टनगंज, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, गढ़वा, साहवा रामगढ़, खुंटी
15.	कर्नाटक	बेलागवी, बागलकोट, विजयपुरा, कालाबुरागी, बीदर, रायचूर, कोप्पल, गडग, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, हावेरी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, शिवमोगा, उडुपी, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, कोलार, बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, मंड्या, हसना, दक्षिणा कन्नड़, कोडागु, मैसूरु, चामराजनगर, रामनगरम, चिक्काबल्लापुर, यादगीर
16.	केरल और लक्षद्वीप	कासरगोड, एर्नाकुलम, कन्नूर, त्रिशूर, कोझीकोड, अलाप्पुझा, इडुक्की, पलक्कड़, थिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, मलप्पुरम, पठानमथिट्टा, लक्षद्वीप, कोल्लम, वायनाड
17.	लद्दाख	कारगिल, लेह

18.	मध्य प्रदेश	जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, उमरिया, डिंडोरी, पन्ना, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, शहडोल, श्योपुर, दतिया, राजगढ़, मुरैना, मंडलेश्वर, नीमच, बड़वानी, शाजापुर, छिंदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर, शिवपुरी, शिवपुरी बालाघाट, दमोह, विदिशा, भिंड, गुना, सिंगरौली, सतना, सिवनी, कटनी, मंदसौर, टीकमगढ़, बैतूल, धार, छतरपुर, देवास, मंडला, रतलाम, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, इंदौर, अशोकनगर, बुरहानपुर, भोपाल
19.	महाराष्ट्र	नंदुरबार, धुले, जलगाँव, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरोली, चंद्रपुर, यवतमाल, नांदेड़, परभणी, जालना, नाशिक, ठाणे, रायगढ़, पुणे, अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, वाशिम
20.	मणिपुर	इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, सेनापति, चुराचंदपुर, उखरूल, चंदेल, तामेंगलांग
21.	मेघालय	ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, री भोई, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स
22.	मिजोरम	आइजोल, लुंगी
23.	नागालैंड	दीमापुर,
24.	ओडिशा	कटक, केंद्रपाड़ा, नुआपाड़ा, गंजाम, बालासोर, कोरापुट, धेनकनाल, खुर्दा, गजपति, कालाहांडी, संबलपुर, झारसुगुड़ा, क्योंझर, जगतसिंहपुर, पुरी, सुंदरगढ़, बलांगीर, भद्रक, जयपुर, सोनीपुर, रायगढ़, नयागढ़, कंधमाल, बौध, मयूरभंज,अनुगुल, बरगढ़, देवगढ़, मलकानगिरी, नबरंगपुर
25.	पंजाब	लुधियाना, जालंधर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, फिरोजपुर, अमृतसर, फरीदकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, मोगा, मनसा, श्री मुक्तसर साहिब, एसबीएस नगर, बरनाला, बठिंडा, होशियारपुर, संगरूर, पठानकोट, तरनतारन, मोहाली, फाजिल्का
26.	राजस्थान	राजसमंद, अलवर, दौसा जयपुर मेट्रो ।, टोंक, बीकानेर, गंगानगर, मेड़तागौर, उदयपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, बारां, भरतपुर, अजमेर, झुंझुनू, पाली, कोटा, जालौर, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर मेट्रो, करौली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, सीकर, सवाई, माधोपुर, जयपुर जिला, जोधपुर जिला, जयपुर मेट्रो ॥
27.	सिक्किम	नामची, मंगन, ग्यालशिंग, गंगटोक

28.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	धर्मपुरी, पुदुक्कोट्टई, तिरुनेलवेली, थेनी, नमक्कल, नागपट्टिनम, कन्नियाकुमारी, तिरुचिरापल्ली, थुथुकुडी, विलुप्पुरम, वेल्लोर, सलेम, चेन्नई, विरुधुनगर, मदुरै, नीलगिरी, थंजावुर,कोयंबटूर, करूर, कुड्डालोर, रामनाथपुरम, तिरुवन्नमलाई, पेरम्बलुर, इरोड, तिरुवरू,कृष्णागिरि, डिंडीगुल, पुदुचेरी, सिवागंगई, अरियालुर, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, तिरुप्पुर
29.	तेलंगाना	आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल
30.	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, उनाकोटि त्रिपुरा, गोमती जिला, सिपाहीजला त्रिपुरा, खोवाई त्रिपुरा, धलाई त्रिपुरा
31.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, हरदोई, चित्रकूट, मेरठ, बहराइच, गाजियाबाद, फतेहपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, पीलीभीत, मैनपुरी, अंबेडकरनगर, सीतापुर, औरैया, बदायूं, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, बलिया, भदोही एसआर नगर, ललितपुर, ललितपुर, लखनऊ, एटा, मुज़फ्फरनगर, वाराणसी, गाज़ीपुर, फ़िरोज़ाबाद, आगरा, इटावा, कुशीनगर, ज्योतिबा फुले नगर, बाराबंकी, कौशाम्बी, महोबा, बाँदा, काशी राम नगर, देवरिया, मऊ, अलीगढ़, आज़मगढ़, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदौर, बुलंदशहर, फैजाबाद, गोंडा, कानपुर देहात, महराजगंज, मथुरा, मुरादाबाद, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, हाथरस, झाँसी, बलरामपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, जालौन, संतकबीर नगर, हापुड़, चंदौसी में संभल, जालौन, चंदौली, शामली
32.	उत्तराखंड	नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग
33.	पश्चिमी बंगाल	मालदा, हुगली, कलकत्ता, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, पश्चिम, मेदिनीपुर, बीरभूम, पूर्बिया मेदिनीपुर, पुरुलिया, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनापुर, उत्तर चौबीस परगना, दार्जिलिंग, पूर्बा बर्धमान, बांकुरा, दक्षिण चौबीस, दक्षिण चौबीस परगना, उत्तर दिनाजपुर, नादिया, कलिम्पोंग, पश्चिम बर्धमान, झाड़ग्राम

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3568

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण

3568. श्री ए.के.पी. चिनराज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन लाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आनुपातिक आरक्षण के लिए कोलेजियम को दिया गया अभ्यावेदन सफल नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती हैं, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण के लिए सांविधानिक संशोधन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3601

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्याय मित्र

+3601. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

श्री विनायक भाऊराव राऊत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है :

(ख) क्या न्याय मित्र के माध्यम से गरीब समुदायों को विवादों के समाधान हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) महाराष्ट्र की जिला अदालतों में काम पर लगाए जाने के लिए प्रस्तावित न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या देश की विभिन्न जिला अदालतों में लगभग 100 न्याय मित्रों को काम पर लगाया गया है ; और

(च) यदि हां, तो विशेषरूप से महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : न्यायमित्र कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों, जिसके अंतर्गत सिविल मामले, जैसे-वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले और दांडिक मामले भी हैं, में दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है ।

(ग) से (च) : अप्रैल, 2017 से न्यायमित्र कार्यक्रम के आरंभ से कुल 29 न्यायमित्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, ओडिशा में काम पर लगे हुए हैं जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के सिविल न्यायालय मुंबई शहर में एक न्यायमित्र भी है ।

अभी तक गुजरात राज्य में कोई भी न्यायमित्र काम पर नहीं लगाया गया है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3638

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्यायालय की अवमानना अधिनियम में संशोधन

3638. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायपालिका की अवमानना सम्बन्धी शक्ति को कम करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान न्यायालयों में लंबित अवमानना के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए सरकार के पास विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार न्यायालयी मामलों की अवमानना के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखती है ।

(ग) : भारत के उच्चतम न्यायाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायालय की अवमानना के लिए शास्ति के बारे में ब्यौरे उनके द्वारा नहीं रखे जाते है । तथापि, अंतिम पांच वर्षों में न्यायालयी मामलों की अवमानना की संस्थित और निपटारित संख्या निम्नानुसार हैः-

वर्ष	संस्थित अवमानाना संबंधी मामलों की संख्या	निपटारित अवमानाना संबंधी मामलों की संख्या
2016	342	353
2017	375	301
2018	363	397
2019	421	424
2020	204	203
2021 (11.03.2021 तक)	51	55

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3644

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

राजस्थान में न्यायालयों की स्थापना

+3644. श्री कनकमल कटारा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने, की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में न्यायालयों की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा स्थापना के लिए प्रस्तावित न्यायालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या राजस्थान के बाँसरा-डूंगरपुर में भी न्यायालय स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कोई निधि जारी की गई है ; और

(घ) इस राज्य के लोगों को समय पर न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : राज्य सरकारों का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे न्यायालयों की स्थापना करें और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना/ न्यायालय कक्ष प्रदान करें । संघ की सरकार केन्द्र और राज्यों के बीच विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है । इस स्कीम का कार्यान्वयन 1993-94 से किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हाल और न्यायालय परिसर तथा आवास का सन्निर्माण है । 1993-94 में स्कीम के आरम्भ होने से 10.03.2021 तक, 8295 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इनमें से 286.62 करोड़ रुपए राजस्थान राज्य सरकार को जारी किए गए हैं । 28.02.2021 तक इस स्कीम के अधीन जिला और

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 1250 न्यायालय हाल उपलब्ध करवाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, 217 न्यायालय हाल निर्माणाधीन हैं । इस स्कीम के अधीन राजस्थान राज्य सरकार को वर्षवार जारी की गई निधियां उपाबंध में दी गई हैं । राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान में बांसरा-डूंगरपुर में न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है ।

तथापि, सरकार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं । सरकार द्वारा स्थापित न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, न्याय के बेहतर प्रदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना भी है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले छह वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **<u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना</u>:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,295 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 28.02.2021 तक 20,075 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 28.02.2021 तक 17,738 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,463 न्यायालय हाल और 1,861 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, तारीख -28-02-2021 तक 1250 न्यायालय

हाल और 1016 आवासीय इकाईयां राज्य में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 217 न्यायालय हाल तथा 146 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(ii) **<u>न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना-और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना</u> :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है । 22.02.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 03.03.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 18.28 करोड़ मामलों तथा 13.88 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वेब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

राजस्थान राज्य में ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन 247 न्यायालय परिसरों में 1240 न्यायालय गृह कम्प्यूटरीकृत किए गये हैं। चरण-2 में अबतक राजस्थान

उच्च न्यायालय को 67.80 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। वर्तमान में, राजस्थान के मुवक्किल 73.97 लाख लंबित और निर्णित मामलों और राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के 8.57 लाख से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में एनजेडीजी के माध्यम से आनलाइन मामला प्रास्थिति सूचना जान सकते हैं। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन राजस्थान राज्य में 238 न्यायालय परिसरों और 95 तत्स्थानि जेलों में विडियो कान्फ्रेंसिग सूविधा प्रदान की गई है।

(iii) **<u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना</u> :** तारीख 01.05.2014 से 01.03.2021 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 576 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 524 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जहां तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्थिति का संबंध है, तारीख 15-03-2021 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत कूल संख्या के मुकाबले 23 न्यायाधीश कार्यरत हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
04.03.2021	24,283	19,295

राजस्थान राज्य में तारीख 28-02-2021 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों /न्यायिक अधिकारियों की 1489 स्वीकृत कुल संख्या के मुकाबले 1292 न्याधीश / न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **<u>बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी</u>:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों, जिसके अन्तर्गत राजस्थान भी है, में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम

प्रतिपादित करने के लिए बकाया समिति गठित की गई है ।

और, तारीख 20.6.2014 तथा 14.08.2018 को विधि और न्याय मंत्री द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा मुख्यमंत्रियों को, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों तथा लंबन घटाने के अभियान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसूचित किया गया है ।

(v) **<u>वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना</u> :** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल</u> :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 31.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए 894 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक में 1 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में 2) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 842 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में सम्मिलित हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 363 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । 616 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 330 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं, जिन्होने 31.01.2021 तक 39653 मामले निपटाए । राजस्थान राज्य में 26 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय सहित 45

एफटीएससी कार्यरत हैं जिन्होनें 31-01-2021 तक 1703 मामले निपटाए।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

****

<u>उपाबंध</u>

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3644, जिसका उत्तर तारीख 17.03.2021 को दिया जाना है, के लिए निर्दिष्ट विवरण

वर्ष	राजस्थान राज्य सरकार को जारी निधि (करोड़ रुपए में)
1993-94	1.39
1994-95	2.71
1995-96	2.65
1996-97	2.43
1997-98	2.93
1998-99	2.36
1999-2000	2.49
2000-01	3.41
2001-02	3.29
2002-03	1.96
2003-04	3.00
2004-05	0.00
2005-06	0.00
2006-07	0.00
2007-08	0.00
2008-09	12.57
2009-10	0.00
2010-11	0.70
2011-12	11.72
2012-13	10.42
2013-14	0.00
2014-15	0.00
2015-16	50.00
2016-17	43.74
2017-18	17.34
2018-19	17.41
2019-20	64.21
2020-21	29.90
कुल	286.63

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *303

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

***303. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी तथा इनके रिक्त पदों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त रिक्त पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे रिक्त पदों की संख्या के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>"न्यायाधीशों की कमी" से संबंधित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *303 जिसका उत्तर तारीख 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-2020 के दौरान स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या, रिक्तियां और न्यायाधीशों की नियुक्ति को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबद्ध 1 पर दिया गया है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेदों क्रमश: 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है । भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के विनिश्चय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रारंभ करना भारत के मुख्य न्यायामूर्ति में निहित होता है जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए यह संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । इसलिए, उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सहयोगकारी और एकीकृत प्रक्रिया है । इसमें केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है ।

अधीनस्थ न्यायपालिका की पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-2020 के दौरान स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या दर्शाने वाला विवरण उपाबद्ध 2 पर दिया गया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रौन्नति, आरक्षण, आदि. के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अत:, जहां तक कि राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं, केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती एक सतत और चालू रहने वाली प्रक्रिया है तथा प्रत्येक वर्ष की रिक्तियां या तो पूर्णत: या भागत: भरी जाती हैं ।

(ग) : अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियां भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1867/2006, मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, में तारीख 4 जनवरी, 2007 को पारित आदेश में विहित समय अनुसूची के अनुसार भरी जाती हैं । जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश प्रवर्ग के लिए रिक्तियां, समय अनुसूची के अनुसार 31 मार्च को कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ होने पर और 31 अक्तूबर तक उस वर्ष के समाप्त होने तक अधिसूचित की जाती हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य में तारीख 28 फरवरी, 2021 को अधीनस्थ न्यायापालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या तथा रिक्तियां निम्न प्रकार हैं:-

स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
481	387	94

****

उपाबंध-1

तारीख 11.03.2021 तक स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या, रिक्तियां तथा विगत तीन वर्षों अर्थात 2018-2020 के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 303 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2021 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**	**रिक्त पद**	**पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-2020 के दौरान नियुक्ति की संख्या**		
					2018	2019	2020
क	उच्चतम न्यायालय	34	30	04	08	10	-
ख	उच्च न्यायालय						-
1.	इलाहाबाद	160	96	64	28	10	04
2.	आंध्र प्रदेश	37	19	18	-	02	07
3.	बॉम्बे	94	63	31	04	11	04
4.	कलकत्ता	72	32	40	11	06	01
5.	छत्तीसगढ	22	14	08	04	-	-
6.	दिल्ली	60	31	29	05	04	-
7.	गुवाहाटी	24	20	04	02	04	-
8.	गुजरात	52	30	22	04	03	07
9.	हिमाचल प्रदेश	13	10	03	-	02	-
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय	17	11	06	02	-	05
11.	झारखंड	25	17	08	03	02	-
12.	कर्नाटक	62	46	16	12	10	10
13.	केरल	47	40	07	04	01	06
14.	मध्य प्रदेश	53	27	26	08	02	-
15.	मद्रास	75	62	13	08	01	10
16.	मणिपुर	05	05	0	-	-	01
17.	मेघालय	04	04	0	01	01	-
18.	ओडिशा	27	15	12	01	01	02
19.	पटना	53	21	32	-	04	-
20.	पंजाब और हरियाणा	85	47	38	07	10	01
21.	राजस्थान	50	23	27	-	03	06
22.	सिक्किम	03	03	0	-	-	-
23.	तेलंगाना	24	14	10	-	03	01
24.	त्रिपुरा	05	04	01	01	-	01
25.	उत्तराखंड	11	07	04	03	01	-
	संपूर्ण	**1080**	**661**	**419**	**108**	**81**	**66**

उपाबंध-2

विगत तीन वर्षों अर्थात 2018-2020 के दौरान अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या, रिक्त पदों के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 303 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2021 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

		2018			2019			2020		
क्र.सं.	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत पद सं.	रिक्त पद
1.	अंदमान और निकोबार	11	11	0	0	13	-13	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	494	445	49	597	529	68	607	510	97
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	25	5	41	27	14	41	32	9
4.	असम	430	383	47	441	412	29	466	412	54
5.	बिहार	1845	1205	640	1925	1149	776	1936	1433	503
6.	चंडीगढ़	30	30	0	30	29	1	30	26	4
7.	छत्तीसगढ	452	397	55	468	394	74	481	387	94
8.	दादरा और नागर हवेली	3	3	0	3	3	0	3	2	1
9.	दमण और दीव	4	4	0	4	3	1	4	4	0
10.	दिल्ली	799	541	258	799	681	118	799	649	150
11.	गोवा	50	42	8	50	43	7	50	40	10
12.	गुजरात	1506	1150	356	1521	1185	336	1521	1152	369
13.	हरियाणा	651	489	162	772	475	297	772	493	279
14.	हिमाचल प्रदेश	159	149	10	175	153	22	175	161	14
15.	जम्मू -कश्मीर	310	224	86	290	232	58	296	255	41
16.	झारखंड	676	460	216	677	461	216	675	544	131
17.	कर्नाटक	2614	2181	433	1345	1106	239	1357	1071	286
18.	केरल	496	433	63	536	457	79	538	470	68
19.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	16	8	8
20.	लक्षद्वीप	3	3	0	3	3	0	3	3	0
21.	मध्य प्रदेश	1872	1361	511	2021	1620	401	2021	1610	411
22.	महाराष्ट्र	2011	1844	167	2189	1942	247	2190	1940	250
23.	मणिपुर	55	40	15	55	39	16	54	36	18
24.	मेघालय	97	39	58	97	49	48	97	49	48
25.	मिजोरम	67	46	21	64	46	18	64	43	21
26.	नागालैंड	33	26	7	33	25	8	33	26	7
27.	ओडिशा	911	755	156	919	770	149	950	756	194
28.	पुदुचेरी	26	19	7	26	11	15	26	11	15
29.	पंजाब	674	530	144	675	579	96	692	593	99
30.	राजस्थान	1337	1108	229	1428	1121	307	1489	1292	197
31.	सिक्किम	23	19	4	25	19	6	25	20	5
32.	तमिलनाडु	1143	905	238	1255	1080	175	1298	1049	249
33.	तेलंगाना	493	445	48	413	334	79	474	378	96
34.	त्रिपुरा	115	75	40	120	96	24	120	97	23
35.	उत्तर प्रदेश	3225	2037	1188	3416	2578	838	3634	2581	1053
36.	उत्तराखंड	293	234	59	294	228	66	297	255	42
37.	पश्चिमी बंगाल	1013	938	75	1014	918	96	1014	918	96
	कुल	**23951**	**18596**	**5355**	**23721**	**18810**	**4911**	**24247**	**19319**	**4928**

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *320

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

विधिक साक्षरता संवर्धन कार्यक्रम

***320. श्रीमती मीनाक्षी लेखी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विधिक साक्षरता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ;

(ख) इन संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल कितनी महिला विधिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य महिला आयोगों के माध्यम से इसमें शामिल क्षेत्रों का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>'विधिक साक्षरता संवर्धन कार्यक्रम' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *320 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2021 को उत्तर दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

(क) : लोगों को उनके विधिक हकदारियों के साथ उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा संपूर्ण देश में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2020 तक 6.59 लाख से अधिक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 8.34 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया था । इसके अतिरिक्त, गरीब, दुर्बल और सीमांत लोगों को विधि के अधीन उनकी हकदारियों तथा कल्याणकारी स्कीमों से जोड़ने पर ध्यान देते हुए नालसा द्वारा विधिक सशक्तीकरण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है । वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक 5898 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिससे 82.41 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा हुआ है । इसके अतिरिक्त, सरकार वर्ष 2012 से "पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में न्याय तक पहुंच" पर एक कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है । इस कार्यक्रम के अधीन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राज्य महिला आयोग, राज्य संसाधन केन्द्र आदि के सहयोग से विधिक साक्षरता/ विधिक जागरूकता और विधिक सहायता क्लीनिक आयोजित किए जाते हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान, 4265 विधिक जागरूकता/विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, जिसमें 158 विधिक सहायता क्लीनिकों सहित 4.6 लाख फायदाग्राहियों तक पहुंच की गई ।

(ख) : पैनल अधिवक्ताओं और परा-विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) की हैसियत से विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यदल में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भाग का गठन करती हैं । इस समय, 11,329 महिला पैनल अधिवक्ता और 19,404 महिला पीएलवी विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ संबद्ध हैं । इस कार्यदल को नालसा द्वारा नियमित अंतरालों पर आयोजित विशेषज्ञ प्रशिक्षण मापदंडों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है ।

(ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से 15 अगस्त, 2020 को "विधिक जागरूकता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण"

नामक परियोजना आरंभ की है । इस परियोजना के अधीन, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के 285 जिलों में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम किए गए । महिलाओं को उनके सुसंगत अधिकारों और विभिन्न विधियों के अधीन उपलब्ध संरक्षणों के संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ उनके अधिकारों को अग्रसर करने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने और उनके अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से मार्गदर्शन करने लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । तारीख 15.08.2020 से 31.12.2020 तक, उक्त परियोजना के अधीन 675 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें 34,621 महिलाओं ने भाग लिया था । इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य महिला आयोग, अरूणाचल प्रदेश के साथ मिलकर महिलाओं और बालकों से संबंधित विषयों पर सूचना शिक्षा और संचार सामग्रियों की 6.02 लाख प्रतियों का वितरण किया । इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य महिला आयोग, मेघालय के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर विधिक साक्षरता का प्रसार करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में 350 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को प्रशिक्षित किया ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4649

जिसका उत्तर बुधवार, 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है

गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित मामले

+4649. श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं और विगत दस वर्षों से कितने मामले लंबित हैं :

(ख) इस समय गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और ये पद कितने समय से रिक्त हैं ; और

(ग) उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड(एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय में 147,763 मामले लंबित हैं जिसमें से तारीख 18.03.2012 तक 17,417 मामले 10 वर्ष या अधिक समय से लंबित हैं ।

(ख) : गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या तारीख 18.03.2021 तक क्रमशः 52 व 30 है । तारीख 01.12.2018 से रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्त पद
01.12.2018	52	29	23

01.12.2019	52	28	24
01.12.2020	52	30	22
18.03.2021	52	30	22

वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गुजरात उच्च न्यायालय कॉलेजियम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है । उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में विहित प्रक्रिया के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का आरंभ किया जाना संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । यद्यपि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है, न्यायाधीशों की सेवानिवृति, त्याग पत्र या उन्नयन के कारण तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि के कारण भी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों में वृद्धि होती रहती है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4675

जिसका उत्तर बुधवार, 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है

ई-कोर्ट परियोजना

4675. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी :

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के चरण-1 को है तथा चरण-॥ को अनुमोदित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोजन से देश के संपूर्ण जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का पहला चरण 2011-2015 के दौरान 639.41 करोड़ रूपए के कुल व्यय के साथ प्रारंभ किया गया था ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का दूसरा चरण 2015 से चार वर्ष (2015-19) या परियोजना के पूरा होने तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, के लिए प्रारंभ किया गया था । अभी तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है । 2992 न्यायालय परिसरों में से 2940 न्यायालय परिसरों में वाइड एरिया नेटवर्क संयोजकता प्रदान की जा चुकी है । सरकार ने ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए 1670 करोड़ रूपए के वित्तीय व्यय के विरूद्ध अब तक 1548.13

करोड़ रूपए की राशि ई-न्यायालय परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए जारी की है । ई-न्यायालय परियोजना के दूसरे चरण के अधीन कुछ अन्य प्रमुख उपलब्धियों में न्यायालय रजिस्ट्री की संपूर्ण प्रक्रिया को स्वंचालित करने के लिए मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर का प्रयोग करते हुए, मामला सूचना सॉफ्टवेअर की शुरूआत भी सम्मिलित है । इसमें 'राष्ट्रीय न्यायिक आकड़ा ग्रिड' (एनजेडीजी) की अगुआई की है, जो अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के (03 मार्च, 2021 तक) लंबित/निपटाए गए 18.28 करोड़ मामलों और 13.88 करोड़ आदेशों/निर्णयों की स्थिति मुहैया कराता है । ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआईएस) हाल ही में केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा संस्थागत वादियों की लंबित मामलों की मानीटरी के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंच को अनुज्ञात करने के लिए प्रारंभ किया गया हैं । मामला प्रास्थिति, वादसूची, निर्णयों आदि. की वास्तविक समय सूचना का अधिवक्ताओं और वादियों तक प्रसार करने के लिए सात मंचों का सृजन किया गया है अर्थात्, बहुभाषी और दिव्यांगजन-मित्र ई-न्यायालय पोर्टल, ई-न्यायालय मोबाइल एप्प और न्यायाधीशों के लिए जस्ट आईएस एप्प, स्वचालित ई-मेल, एसएमएस पुश और पुल सेवा, न्यायिक सेवा केन्द्र और सूचना कियोस्क ।

भारत का उच्चतम न्यायालय 59,309 से अधिक (15 फरवरी, 2021 तक) वर्चुअल सुनवाई के साथ वैश्विक अगुआ के रूप में उभरा हैं । उच्च न्यायालयों (27,58,560 सुनवाई) और अधीनस्थ न्यायालयों (54,46,876 सुनवाई) ने 28 फरवरी, 2021 तक 82.05 लाख वर्चुअल सुनवाई संचालित की हैं । 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी केबीन और वीसी उपस्कर के लिए भी निधियां जारी की गई हैं । इस प्रकार पहली बार 9 राज्यों में 11 वर्चुअल न्यायालयों की स्थापना की गई है जिन्होने 150 करोड़ रूपए के जुर्माने की ऑनलाइन वसूली सहित 55.44 लाख यातायात अपराधों का विचारण किया हैं । वर्चुअल न्यायालयों के क्षेत्र का विस्तार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन चैक अनादरण के मामलों को अनन्य रूप से निपटाने के लिए 34 डिजिटल न्यायालय शुरु किए हैं । विधिक काग़ज़ात की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली रोल आउट की गई है । संदाय प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए न्यायालय फीसों, जुर्मानों, शास्तियों और न्यायिक निक्षेपों को ऑनलाइन संदाय योग्य बनाया गया है । इलेक्ट्रानिक आदेशिकाओं (एनएसटीईपी) की राष्ट्रीय तामील और खोज के माध्यम से इलेक्ट्रानिक आदेशिका और समनों की तामील प्रारंभ की गई है । डिजिटल विभाजन द्वारा कारित असुविधा को कम करने के लिए 235 ई-सेवा केन्द्रों या ई-संसाधन केन्द्रों को वित्तपोषित किया गया है ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4801

जिसका उत्तर बुधवार, 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

4801. श्री सी.एन. अन्नादुरई :

श्री धनुष एम. कुमार :

श्री गजानन कीर्तिकर :

श्री अरविंद सावंत :

श्री गौतम सिगामणि पोन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिवस के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस अवसर को यादगार बनाने हेतु सरकार द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सहायता प्रणाली के मानदंड और दिशा-निर्देश क्या हैं और विशेष रूप से तमिलनाडु में नए विधिक सहायता क्लीनिक खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने गरीबों के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन और मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ,1987 जो 9 नवंबर,1987 को प्रवृत्त हुआ, के प्रारंभ से मनाने के लिए प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर, नि:शुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, परा विधिक स्वयंसेवियों /जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों/ पैनल वकीलों और राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता में किए गए अनुकरणीय कार्यों को स्वीकार करने और पुरस्कृत करने के लिए साधारणतया प्रशंसा समारोह आयोजित किया जाता है। चल रही महामारी के कारण, इस वर्ष प्रशंसा समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि , नवंबर, 2020 में देश भर में 10516 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 6,29,826 नागरिक सम्मिलित हुए।

(ग) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (एलएसए), 1987 की धारा 12 (क) से (छ) के अधीन आने वाले व्यक्ति आय सीमा का ध्यान किए बिना नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, मानव या भिखारी, महिला या बालक की तस्करी के पीड़ित व्यक्ति, नि:शक्त व्यक्ति, अवांछनीय परिस्थितियां जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा या औद्योगिक कार्यकर्ता या अभिरक्षा में कोई व्यक्ति सम्मिलित है । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 (क) से (छ) के अधीन आने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए, नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है यदि मामला उच्चतम न्यायालय में है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अलावा न्यायालय के समक्ष है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियम, 2011 करावासों, न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), सामुदायिक केंद्रों और अन्य स्थानों, स्कूलों/कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों, गांवों/ग्रामीण क्षेत्रों या गाँवों के समूह में विधिक सेवाओं की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है । 31.01.2021 तक, तमिलनाडु में 834 सहित देश में 13540 विधिक सेवा क्लीनिक कार्य कर रहे हैं।

(घ) : तृतीय पक्ष अभिकरणों द्वारा तीन मूल्यांकन और समाघात-निर्धारण अध्ययन निम्नलिखित पहलुओं को कवर करने के लिए किए गए हैं: -

(i) पैनलीकृत मूल्यांकन और समाघात-निर्धारण का प्रक्रिया और अभ्यास,क्षमता निर्माण, और विधिक सेवाओं प्राधिकरणों के साथ पैनलीकृत वकीलों का विनियोजन और प्रबंधन ।

(ii) न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, अर्ध-न्यायिक निकाय और जेलों में सिविल और आपराधिक मामलों में प्रदान की गई विधिक सहायता का मूल्यांकन।

(iii) परा विधिक स्वयंसेवियों (पीएलवी) का मूल्यांकन और समाघात निर्धारण ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4808

जिसका उत्तर बुधवार, 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक कोर्ट

+4808. श्री लल्लू सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न जेलों में बन्द विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । त्वरित न्यायालयों (एफटीएस) की स्थापना और कृत्यकारी, उच्च न्यायालयों के परामर्श से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित सिविल मामलों और पांच वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति सबंधी मामलों को निपटाने के लिए वर्ष 2015-20 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना करने के लिए भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया है । आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कर विचलन (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 894 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4826

जिसका उत्तर बुधवार, 24 मार्च, 2021 को दिया जाना है

हाई कोर्ट में स्थानीय भाषा का प्रयोग

+4826. श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट व जिला अदालतों में अदालती कार्यवाही की भाषा के रूप में स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों में कार्यवाहियों की भाषा के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 348 का खंड (2) यह कथन करता है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाही में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय में यह नियत किया गया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाए ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । निचले न्यायालयों में हिन्दी या प्रादेशिक भाषा के उपयोग के संबंध में इसे उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे से परामर्श करके विनिश्चित किया जाता है ।

****